मई 2019

भारत 2024

नई सरकार के लिए नीतिगत प्राथमिकताएं

संपादक
ध्रुव जयशंकर एवं
जेहरा काज़मी

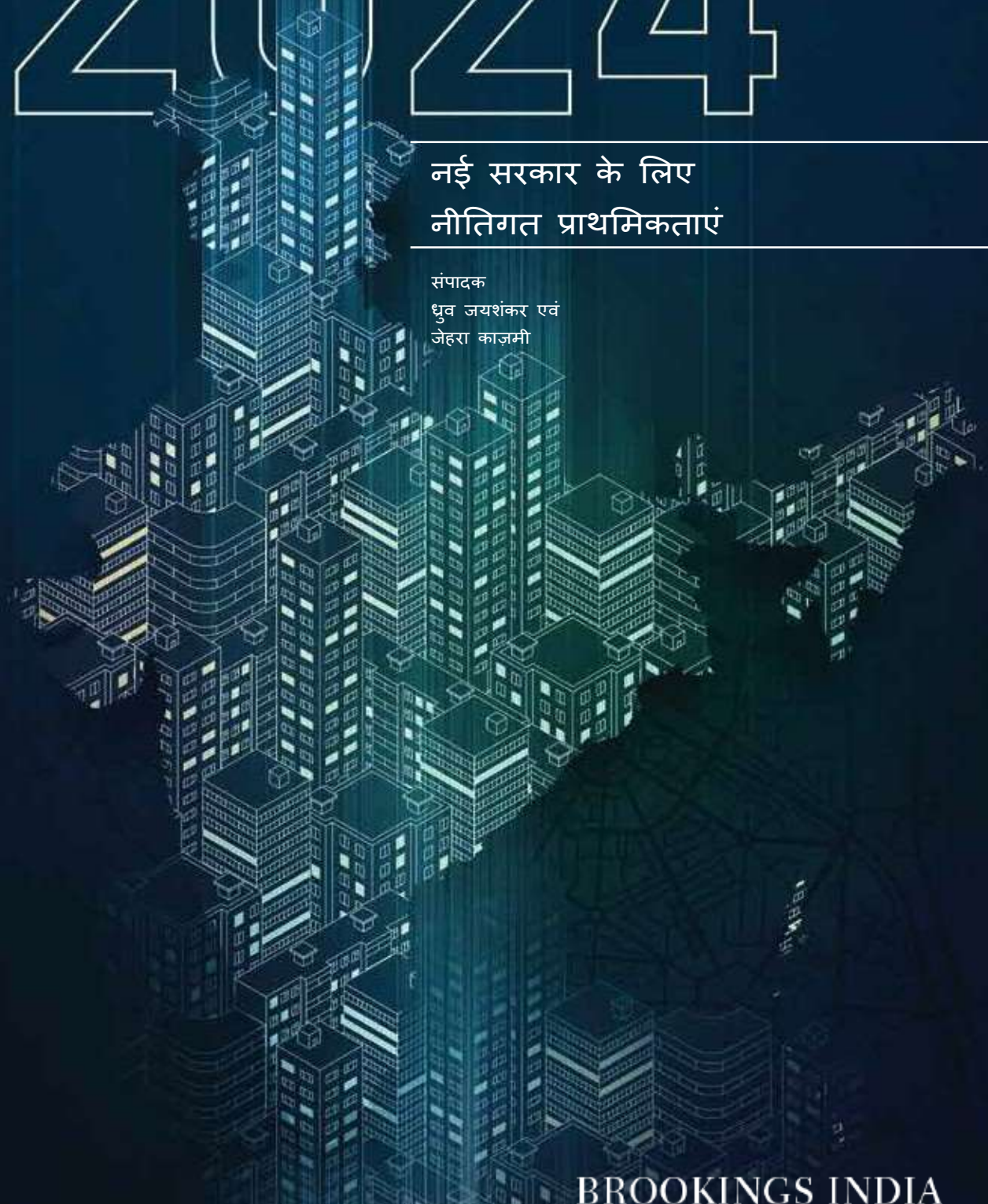

BROOKINGS INDIA

भारत 2024

नई सरकार के लिए नीतिगत प्राथमिकताएं

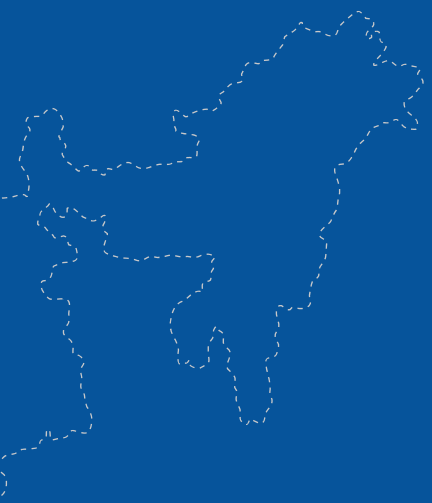

प्रतिलिप्याधिकार © 2019
ब्रुकिंग्स संस्थान भारत केन्द्र
नंबर 6, द्वितीय तल, डॉ जोश पी रिज़ल मार्ग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110021

ब्रुकिंग्स इंडिया स्वतंत्र अनुसंधान एवं नीतिगत समाधानों के लिए समर्पित प्रतिबद्ध गैर-लाभ संगठन है। इसका मिशन उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वतंत्र अनुसंधान संपन्न करना एवं उसके आधार पर नीति -निर्माताओं और जनसामान्य को नवोन्मेषी तथा व्यवहारिक अनुशंसाएं प्रदान करना है। ब्रुकिंग्स के किसी भी प्रकाशन के निष्कर्ष और अनुशंसाएं एकमात्र उसके लेखक (लेखकों) के स्वतंत्र विचार हैं, और यह संस्थान, इसके प्रबंधन, या इसके अन्य विद्वानों के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।
हम रोहन लाइक, अदिति सुंदन एवं हनुत सिंह द्वारा प्रदान की गई संपादकीय सहायता के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहेंगे।

विषय सूची

प्रस्तावना

शमिका रवि

पृष्ठ 06-07

भाग 1

विकास और प्रशासन

01 स्वस्थ भारत

प्राची सिंह

- स्वास्थ्य बीमा बढ़ाएं
- सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करें
- सस्ती, गुणवत्तापूर्ण औषधियाँ प्रदान करें

पृष्ठ संख्या 08-09

02 उच्च शिक्षित भारत

नीलान्जना गुप्ता

- स्नातकोत्तर क्षमता में वृद्धि करें
- शोध केंद्रित संस्थानों का निर्माण करें
- जटिल विनियामक मानकों को शिथिल करें

पृष्ठ संख्या 10-11

03 शहरी भारत

साहिल गांधी

- महानगरीय निकायों को मजबूत करें
- किराया आवास वाउचर योजना का कार्यान्वयन करें
- शहरी स्थानीय निकायों को राजस्व अंतरित करें

पृष्ठ संख्या 12-13

04 सूचना सम्पन्न भारत

प्रेरणा शर्मा

- विभिन्न डेटा प्लेटफॉर्मों के बीच परस्पर अनुकूलता स्थापित करें
- प्रभाव मूल्यांकनों के लिए निजी स्तर पर कार्य करने वाले प्रतिभागियों की क्षमता का लाभ उठाएँ

पृष्ठ संख्या 14-15

भाग 2

विदेश एवं सुरक्षा नीति

05 सुरक्षित भारत
शिवशंकर मैनन
- राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं का अद्यतन करें
- रक्षा सुधारों का कार्यान्वयन करें
- विदेश नीति का समन्वय करें

पृष्ठ संख्या 16

06 वैश्विक भारत
ध्रुव जयशंकर
- व्यापार एवं रक्षा के स्वदेशीकरण को प्राथमिकता दें
- पड़ोस एवं भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें
- पाकिस्तान को नियंत्रित करें और यूरेशिया में शक्ति संतुलन स्थापित करें

पृष्ठ संख्या 17-18

07 पड़ोसी देशों के प्रति मित्रवत भारत
कन्सटैन्टिनो जेवियर
- कार्यान्वयन अंतराल को कम करें
- उदाहरण प्रस्तुत करके और अपनी विशिष्ट स्थिति के आधार पर राह दिखाएं
- पहल करने की क्षमता को पुन: प्राप्त करें

पृष्ठ संख्या 19

08 चीन और भारत का अन्योन्याश्रित संबंध
अनंत कृष्णन
- सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार करें
- व्यापार पर निर्भरता का आकलन करें
- निवेश प्रोत्साहित करें लेकिन सोच समझ कर

पृष्ठ संख्या 20-21

भाग 3

ऊर्जा, पर्यावरण और संधारणीयता

09 हरित भारत
विक्रम सिंह मेहता
- ऊर्जा और पर्यावरण नीतियों को एकीकृत करें
- विकार्बनीकरण (डिकार्बोनाइज़) करें
- संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करें

पृष्ठ संख्या 22-23

10 संधारणीय भारत
राहुल टोंगिया
- विद्युत आपूर्ति सुधारें
- दक्षता संवर्धन करें
- बेहतर नियमन से विकृतियों को समाप्त करें

पृष्ठ संख्या 24-25

11 ऊर्जा सम्पन्न भारत
स्वाति डिसूजा
- विनियमन (नियंत्रण समाप्त) करते समय स्पष्ट योजनाओं का निर्माण करें
- स्वतंत्र विनियामकों को मजबूत करें
- राज्य सरकारों को मजबूत करें

पृष्ठ संख्या 26-27

12 उत्पादक भारत
मोहम्मद साहिल अली
- ऊर्जा (विद्युत) उत्पादकता एवं उसके मूल्यांकन में सुधार करें
- सार्थक लक्ष्य निर्धारित करें
- बहु-आयामी प्राथमिकताओं को प्रबंधित करें

पृष्ठ संख्या 28-29

13 स्वच्छ भारत
अजय निरूला
- बिचौलियों को हटाएं
- विद्युत वितरण अनुभाग को नए सिरे से व्यवस्थित करें
- दिवालियापन और गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के विषय में जांच-पड़ताल करें

पृष्ठ संख्या 30-31

प्रस्तावना

शमिका रवि

बदलती वैश्विक व्यवस्था, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु परिवर्तन और तीव्र प्रौद्योगिकीय उन्नति के वर्तमान परिदृश्य में- भारत की नई सरकार को दिलचस्प और महत्वपूर्ण समय में देश के सूत्र संचालन का कठिन कार्य मिला है। भारत 2024: नई सरकार के लिए नीतिगत प्राथमिकताएं, ब्रूकिंग्स इंडिया के विभिन्न विद्वानों के नीतिगत दृष्टिकोणों का सार-संग्रह है, जिसमें कुछ ऐसी सर्वाधिक अहम चुनौतियों को पहचानने और उनके लिए समाधानों के सुझाव देने का प्रयास किया गया है जिनका सामना भारत को अगले 5 वर्षों में करना पड़ सकता है। प्रत्येक नीतिगत दृष्टिकोण, विद्वानों द्वारा लंबी अवधि तक संपन्न किए गए गहन अन्वेषणात्मक एवं अकादमिक उत्कृष्टता से संपन्न प्रकाशनों पर आधारित है।

तेजी से विकसित होते विशाल लोकतंत्र के भावी विकास हेतु, मानव पूंजी अंतर्निहित प्रेरक शक्ति होगी। अपने जन-सांख्यिकीय लाभांश का सुनियोजन करने के लिए भारत को स्वास्थ्य और शिक्षा में अर्थपूर्ण ढंग से निवेश करना ही चाहिए। निर्धन घर-परिवारों पर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बोझ कम करने की दिशा में आयुष्मान भारत एक बड़ा कदम है। किन्तु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए, इस योजना के स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने संबंधी दूसरे उद्देश्य पर भी बराबर जोर अवश्य ही दिया जाना चाहिए। इस पहल को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना को विस्तारित करने और मजबूत करने, गुणवत्ता मानकों को लागू करने और आवधिक रूप से संपरीक्षाएं (ऑडिट) आयोजित करने की आवश्यकता होगी।

यद्यपि प्रभावी और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल इस कार्य योजना (एजेंडे) में शीर्ष स्थान पर है, तथापि शिक्षा के विषय में प्राथमिक और उच्च दोनों स्तरों पर प्राथमिकता के आधार पर सूक्ष्मता पूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता अपेक्षित है। आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में बेरोजगारी अत्यधिक उच्च रूप से रूप से समाज के सर्वाधिक शिक्षित लोगों के बीच केंद्रित है। स्नातकोत्तर डिग्री वाले लगभग 35% लोग बेरोजगार हैं, जबकि इसके विपरीत केवल 6.2% अशिक्षित युवा कर्मचारी ही बेरोजगार हैं। यह कौशल और शैक्षणिक डिग्री के बीच विद्यमान अंतराल के विषय में प्रश्न खड़े करता है। इस वास्तविकता के विपरीत, जब हम भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्रक का विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि सरकार को क्षमता संवर्धन करने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और शिक्षा संस्थानों को छोटे कार्य क्षेत्र और निम्न गुणवत्ता से बंधे रहने के लिए विवश करने वाले विनियामक बोझ को कम करने हेतु सार्थक प्रयास अवश्य करने चाहिए।

आधुनिक भारत में शहर, विकास और अवसरों के उत्प्रेरकों के रूप में उभरे हैं। लोगों की प्रगति और विकास के लिए शहरों की प्रगति और विकास भी अपरिहार्य है। निरंतर तीव्र गति से शहरीकृत होते देश को अपने शहरी केन्द्रों में सस्ते आवास की आपूर्ति के संकट का समाधान करने की आवश्यकता है। बेहतर प्रशासन के लिए महानगरीय निकायों को मजबूत करना, किराए पर आवास व्यवस्था और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तपोषण प्रदान करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना ऐसे कुछ समाधानों के रूप में उभरे हैं।

वैश्विक मंच पर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान को नियंत्रित करते हुए, मौजूदा सहयोगियों के साथ साझेदारियों को मजबूत करने एवं यूरेशिया में शक्ति संतुलन स्थापित करने की प्राथमिकताएं अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन भारत के सामने इस समय सबसे बड़ी बाहरी चुनौती, चीन का उद्भव और क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने की उसकी प्रवृत्ति है। नई दिल्ली का ध्यान अपने पड़ोस पर, छोटे देशों के प्रति उदार होने के तरीके ढूंढने और उनकी दीर्घकालिक प्रोत्साहन संरचनाओं को भारत के अनुकूल आकार देने पर अवश्य होना ही चाहिए। हमें अपने आप से यह पूछना ही चाहिए कि चीन का विश्वसनीय विकल्प बनने के लिए भारत क्या कर सकता है? क्या इसका समाधान नई दिल्ली द्वारा सहायता प्रदान करने की अपनी प्रकिया में सुधार करने और पड़ोस में उसका कार्यान्वयन करने में निहित है, जो वर्तमान में कई प्रकार की कमियाँ से ग्रसित है ?

हमारे विदेश नीति विशेषज्ञ इसकी विस्तृत जांच करें और सुझाव दें कि भारत को अपनी रणनीतियों और संरचनाओं को नई वास्तविकता के अनुसार समायोजित करना ही चाहिए। हालांकि, इस क्षेत्रक में कोई भी सुधार पर्याप्त आंतरिक क्षमता का निर्माण करने पर निर्भर हैं। सरकार को विदेशी सेवाओं की निविष्टियाँ प्राप्त करने का विस्तार करने, जनशक्ति को प्रशिक्षित करने और लोक राजनय (पब्लिक डिप्लोमैसी) और आउटरीच पहलों के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने का कार्य करना ही चाहिए। हमारे विशेषज्ञ रक्षा क्षेत्र में अविलंब सुधार करने के लिए भी तर्क देते हैं- मजबूत, सुरक्षित भारत को रक्षा आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की आवश्यकता है।

इस सार-संग्रह का तीसरा स्तम्भ, भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को संधारणीयता के साथ संतुलित करने वाला राष्ट्र बनाने की दिशा में भारत के संक्रमण पर विचार-विमर्श करता है। ब्रूकिंग्स इंडिया के विद्वान इस संक्रमण द्वारा प्रस्तुत किए जाने जाने वाले विकल्पों और अवसरों से लम्बे समय से अभिभूत रहे हैं और इस विषय पर बड़े पैमाने पर लिखते रहे हैं कि इस संक्रमण के फलस्वरूप कोयला,

प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली आदि क्षेत्रक किस प्रकार प्रभावित होते हैं। इससे संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता उभरती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सुझाव, विभिन्न मंत्रालयों का ऊर्जा और पर्यावरण के एक मंत्रालय में समेकन करने का है - जो ऐसा नीति को आकार प्रदान करने वाला एकमात्र निकाय होगा। साथ ही साथ, सरकार से ऊर्जा उत्पादन और वितरण संबंधी अपनी कुछ मौजूदा गतिविधियों से विरत होने का आह्वान किया गया है ताकि विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) को नए सिरे से सुव्यस्थित किया जा सके और स्वतंत्र और सशक्त विनियामकों का आरम्भ किया जा सके।

सौभाग्य योजना जैसी कुछ योजनाओं से सार्थक लाभ प्राप्त हुए हैं। इसने देश के सबसे दूरदराज के इलाकों में विद्युत पहुंच सुनिश्चित की है। अब प्रश्न यह है कि भारत प्रत्येक घर में अपनी विद्युत आपूर्ति में और अधिक सुधार किस प्रकार कर सकता है? इसी तरह, यद्यपि कोयले से सस्ती और स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन इस दिशा में प्रगति करते हुए हमें अपने आपसे यह पूछना चाहिए कि इससे अधिरोपित होने वाली प्रणाली स्तरीय लागतों के विषय में क्या किया जाना चाहिए? भारत ने विद्युत वाहनों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं लेकिन बैटरी प्रौद्योगिकी और लागतों की चुनौतियों का समाधान यह कैसे करेगा? हमारे विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए ये कुछ अहम प्रश्न हैं, जो व्यक्त की गई प्रत्येक समस्या को संबोधित करने के लिए कुछ विशिष्ट नीतिगत अनुशंसाएं भी प्रदान करते हैं।

पिछले कई वर्षों के दौरान विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उद्भव होता देखा गया है। भारत में अगले पांच वर्ष निरंतर दीर्घकालिक विकास के लिए नीतिगत सुधारों की दिशा में और अधिक प्रगति करने का अवसर सिद्ध होंगे। भारत पिछले 28 वर्षों में कई मिलियन लोगों को निर्धनता से उबारने में सफल रहा है, और अब सरकार का ध्यान भविष्य हेतु समावेशीय एवं संधारणीय विकास सुनिश्चित करने पर होना ही चाहिए। ब्रूकिंग्स इंडिया के विद्वानों की एक टीम सहकार से प्रस्तुत किया गया यह सार-संग्रह इनमें से कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट नीतिगत अनुशंसाएं प्रदान करता है।

स्वस्थ भारत

प्राची
सिंह

पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावशाली गति से विकसित हुई है, लेकिन समग्र रूप से यह अभी भी निम्नस्तरीय स्वास्थ्य परिणामों से जूझ रही है। मानव पूँजी की किसी राष्ट्र की संपत्ति होती है और निम्नस्तरीय स्वास्थ्य परिणामों से भारत की मानव पूंजी की कार्यक्षमता विपरीत रूप से प्रभावित होगी। राष्ट्र के आर्थिक कल्याण पर इसका सीधा परिणाम होता है। इसलिए, गुणवत्तापूर्ण सस्ती स्वास्थ्य सेवा समय की आवश्यकता है। भारत ने हाल ही में संधारणीय विकास लक्ष्यों को अंगीकार किया जिसके अंतर्गत यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। लेकिन, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठोस नीतिगत प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है: तृतीयक परिचर्या स्तर पर स्वास्थ्य बीमा; प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य अवसंरचना की गुणवत्ता; और देश में उपलब्ध दवाओं की सुलभता और गुणवत्ता।

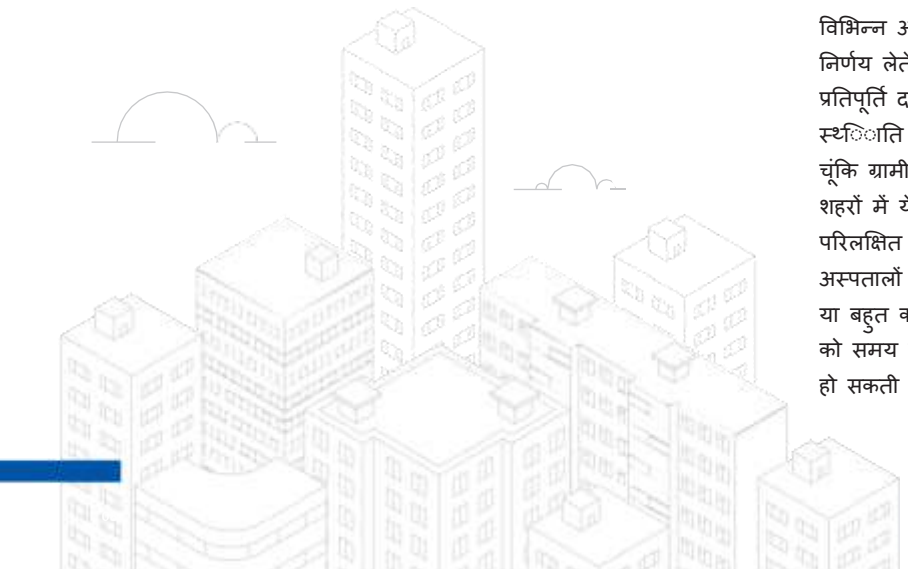

1 स्वास्थ्य बीमा का बड़े पैमाने पर विस्तार करें

सितंबर 2018 में सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। आयुष्मान भारत योजना के दो उद्देश्य हैं, जिसमें से पहला है प्रति परिवार प्रति वर्ष पाँच लाख रुपए तक की स्वास्थ्य देखभाल सेवा के लिए वित्तीय संरक्षण (कुल 10.74 करोड़ परिवार इसके लक्षित लाभार्थी हैं) और दूसरा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए 1.53 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का संचालन करना। इस योजना में पहले से अधिक लाभार्थी जुड़ने से इसके कुछ पहलुओं पर गहन रूप से ध्यान देने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

मांग पक्ष पर, किसी भी बीमा योजना की सफलता के लिए, लाभार्थियों का समूह विविधतापूर्ण एवं बीमा धारक के जोखिमों का शमन करने हेतु पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। साथ ही यदि लाभार्थियों की संख्या छोटी रहती है या यदि लक्षित जनसंख्या को अंततोगत्वा चिकित्सा संबंधी लाभ प्राप्त नहीं होते हैं तो भी इस योजना का प्रभाव सीमित होगा। इसलिए, जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि निर्धन परिवारों को अधिकाधिक जानकारी मिल सके, जो इसके अभीष्ट लाभार्थी हैं। सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र की व्यवस्था करके निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के विषय में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के संदेहों का निवारण किया जाना चाहिए ताकि त्वरित एवं समुचित उपचार सुनिश्चित हो सके।

आपूर्ति पक्ष पर, तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या का अंगीकरण का सूचीबद्ध अस्पतालों की गुणवत्ता और उपलब्धता पर घनिष्ठ रूप से निर्भर करता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल बनने के लिए विभिन्न अस्पताल सूचीबद्ध होने पर मिलने वाले लाभ के लोभ से प्रेरित होकर निर्णय लेते हैं। इस संबंध में, विभिन्न उपचारों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति दरों के स्वरूप का निर्धारण बुद्धिमानी से करना होगा। अस्पताल के स्थिति को विचारणीय रखने के लिए इन दरों में लचीलापन होना चाहिए चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी लागतें कम हो सकती हैं लेकिन शहरों में ये लागतें बहुत उच्च होती हैं। लागतों में यह अंतर प्रतिपूर्ति दरों में परिलक्षित होना चाहिए। सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे नए अस्पतालों को सूचीबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पहले से ही निशुल्क या बहुत कम दरों पर भूमि प्रदान करती है। इस प्रकार मांग पक्ष पर, अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु मजबूत डेटा अवसंरचना लाभदायक हो सकती है।

2 सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करें

निशुल्क, प्रभावी, जवाबदेह और गुणवत्ता-पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए, भारत की वर्तमान स्वास्थ्य अवसंरचना प्राथमिक देखभाल सुविधाओं के नेटवर्क पर निर्भर करती हैं, जिसमें उप-केन्द्र (SCs), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) शामिल हैं। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का अच्छा नेटवर्क होने पर भी, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए घर-परिवार अभी भी अत्यधिक मात्रा में निजी सेवा-प्रदाताओं पर निर्भर रहते हैं। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की अवसंरचना और देखभाल की गुणवत्ता घटिया होना इसका मुख्य कारण रहा है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं साथ ही साथ रोकथाम-योग्य संचारी और गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी नीतियों का निर्माण किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना का मार्गदर्शन, भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना की वर्तमान स्थिति के औपचारिक आकलन के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। उप-केन्द्रों की उपलब्धता में समग्र रूप से उच्च बढ़ोत्तरी होने के बाद भी, भारत में अभी भी सहायक अवसंरचना की उल्लेखनीय कमियों का सामना करना पड़ता है और इनमें से अधिकांश सुविधाएं जर्जर दशा में हैं। इस कमी को दूर करने के लिए कम से चार चरणों की आवश्यकता होगी।

जनसंख्या की मांग पूरी करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को और अधिक विस्तारित करने की आवश्यकता है। जबकि कुछ राज्यों में यह अवसंरचना आवश्यकता से अधिक परिमाण में विद्यमान है, वहीं अन्य राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार व उत्तर प्रदेश में इसकी घोर कमी का सामना करना पड़ता है। समग्र रूप से, भारत को अपनी मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभी भी और अधिक 32,900 उप-केन्द्रों (SCs), 643 और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs), और 2,188 और अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की आवश्यकता है। दूसरा, भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (IPHS) मानदंडों को पूरा किया ही जाना चाहिए। वर्तमान में, 93% उप-केन्द्रों (SCs), और 87% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), वर्ष 2012 के संशोधित भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईएचपीएस) मानदंडों के आधार पर आधारभूत मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं। इसके लिए अपशिष्ट निपटान में सुधार, प्रसूति कक्षों की स्वास्थ्यकर परिस्थितियों, ऑपरेशन थियेटरों और नवजात शिशु परिचर्या इकाइयों की एंटीसेप्टिक दशाएं सुनिश्चित करने, और दवाइयों के पर्याप्त स्टाक बनाए रखने आदि की आवश्यकता होगी। तीसरा, मौजूदा सुविधाओं को सहायक अवसंरचना ढांचे और सेवाओं जैसे कि जल, विद्युत और सड़क मार्ग संपर्कों के माध्यम से अनुपूरित किया ही जाना चाहिए। इसके लिए कामकाज सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर संपरीक्षा (ऑडिट) करने की भी आवश्यकता होगी। अंत में, जनसंख्या मानकों पर पुन: विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान जनसंख्या मानदंड 1883 तक की पुरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर आधारित हैं। गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ के कारण इन जनसंख्या मानदंडों पर पुन: विचार किया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य अवसंरचना को भारत के संशोधित रोग भार के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जा सके।

3 सस्ती, गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान करें

भारतीय घर-परिवार अपने जेब से न किए गए (अतिरिक्त) व्यय का लगभग आधा व्यय फार्मेसियों पर करते हैं, यह अस्पतालों पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में बहुत अधिक होता जा रहा है। दवाइयों का सस्तापन, उनकी उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता ऐसे तीन महत्वपूर्ण आयाम है जिन्हें नीति निर्माताओं की ओर से तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले, विभिन्न फार्मेसियों की दवाओं के मूल्यों की तुलना करने के लिए दवाइयों के डेटाबेस का निर्माण करने की आवश्यकता होगी, ताकि उपभोक्ताओं को उपलब्ध सस्ते से सस्ते विकल्पों का सुझाव दिया जा सके। इस प्रक्रिया को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन से लाभ मिल सकता है जो प्रत्येक फार्मेसी से होने वाली बिक्री पर नजर रखती है। दूसरा चिकित्सकों को ऐसे चिकित्सा परामर्श देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक जेनेरिक दवाओं का उपयोग हो, जिससे उपभोक्ताओं के धन की बचत होगी।
तीसरा, घटिया और नकली दवाओं के सार्वजनिक डेटाबेस को बनाए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में उपभोक्ताओं को जानकारी प्रदान करने के लिए ऐसा कोई डेटाबेस उपलब्ध नहीं है। चौथा, निरीक्षकों के लिए भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाना चाहिए, और इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय निरीक्षकों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता की जांच करने वाले गुणवत्ता निरीक्षकों को विनिर्माण स्थल पर, स्रोत पर ही समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंतत: एक केंद्रीकृत विनिर्माण लाइसेंसिंग तंत्र आवश्यक है। वर्तमान में भारतीय राज्य, राज्य से बाहर निर्मित होने वाली घटिया दवाओं के विनिर्माण को रोकने में असमर्थ हैं। लाइसेंसिंग प्रणाली का केन्द्रीकरण बाजार में घटिया दवाओं की संख्या घटा सकता है और लाइसेंसिंग अनुमोदनों के लिए सभी राज्यों को जवाबदेह बना सकता है।

उच्च शिक्षित भारत

नीलांजना गुप्ता

शमिका रवि

भारत ने 2001 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार देखा है। विगत कुछ समय में उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) की संख्या एवं नामांकन में नाटकीय रूप से चार गुना वृद्धि हुई है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली 49,964 संस्थानों के साथ विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। भारत में उच्च शिक्षा की उपलब्धता की बढ़ोतरी होने के बावजूद, स्नातकों की कम रोजगारपरकता, शिक्षा की घटिया गुणवत्ता, और जटिल विनियामक मानदंड की चुनौतियां अभी भी इस क्षेत्रक को समस्याग्रस्त किए हुए हैं। 2017-18 में भारत का सकल नामांकन अनुपात 25.8% था लेकिन यह 2020 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियय किए गए 30% सकल नामांकन अनुपात को पाने से अभी भी दूर है। चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, इसलिए श्रम बाजार की जरूरतों में बदलाव होगा। भारत को नई और अधिक विविधतापूर्ण कार्य भूमिकाओं वाले कार्यकर्ताओं अर्थात् प्रबुद्ध शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों, एवं ज्ञान कर्मियों की आवश्यकता होगी। संस्थान आवश्यक कौशल प्रदान करने वाली उच्च शिक्षा प्रणाली की वास्तविक क्षमता की पहचान करने में विफल रहे हैं। रोजगारपरक स्नातकों को उत्पन्न करने में समर्थ, वैश्विक रूप से प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी संस्थानों का निर्माण करने के लिए व्यवस्थागत समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता होगी।

1 स्नातकोत्तर क्षमता में वृद्धि करें

स्नातक स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थानों में लगभग 80% नामांकन है। जबकि 2009-10 की तुलना में स्नातकोत्तर नामांकन दोगुना हुआ है, क्षमता की कमी के कारण स्नातक और स्नातकोत्तर नामांकन में असमानता बनी हुई है। विशेषीकृत प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं बेहतर रोजगारपरकता संभव करने के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा एक विशिष्ट अवसर है। लेकिन कला, विज्ञान, और वाणिज्य की परास्नातक डिग्रियों के अतिरिक्त, केवल एमबीए ही रोज़गार के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली अपनी उज्ज्वल संभावनाओं के कारण लोकप्रिय डिग्री बन पाई है। अनुसंधान संबंधी डिग्री के लिए नामांकन का अनुपात बहुत कम है, और पिछले दशक में प्रदान की गई पीएचडी की डिग्री की संख्याओं का अनुपात गिरा है। केवल 36.7% उच्च शिक्षा संस्थान स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन करते हैं और केवल 3.6% पीएचडी कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में नामांकन कम होने का प्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ है कि उच्च शिक्षा प्रणाली में योग्य शिक्षकों की कमी उत्पन्न हो गई है।

सरकार को स्नातकोत्तर क्षमता का पर्याप्त विस्तार करने के लिए प्रयास का नेतृत्व करना ही चाहिए। निजी संस्थान, प्रबंधन और इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाते हैं। स्नातकोत्तर विद्वानों एवं शिक्षकों की कमी वाले क्षेत्रों में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को स्नातकोत्तर विभाग बनाए रखने के लिए अधिदेशित करना इस अंतराल को पाटने में सहायता कर सकता है। स्नातकोत्तर शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना और सभी विषय क्षेत्रों में अध्येतावृत्ति प्रदान करने से उल्लेखनीय प्रेरणा मिलेगी। विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर शिक्षा की अधिक से अधिक उपलब्धता प्रदान करना अत्यधिक कुशल और जॉब करने के लिए तैयार कार्यबल प्रदान करके भारत को श्रम बाजार की परिवर्तित होती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में भली प्रकार स्थित करेगा।

2 अनुसंधान केंद्रित संस्थाओं का निर्माण करें

भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्य के रूप में नहीं देखा जाता है। संस्थान अपने विद्यार्थी समूह के शिक्षण और परीक्षण को अपने मुख्य कार्य के रूप में देखते हैं। उच्च शिक्षा संस्थान इस तथ्य के महत्व को समझने में विफल रहे हैं कि शिक्षण और अनुसंधान एक दूसरे के पूरक हैं और परस्पर सहयोग करने वाली गतिविधियां है। आधारीय मूलभूत अनुसंधान केवल सरकार द्वारा वित्त पोषित अकादमिक व्यवस्थाओं में संभव होता है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में अनुसंधान एवं विकास पर भारत का सकल व्यय वर्ष 2001 के बाद काफी कम हुआ है और अब यह वर्ष 1996 (0.65%) की तुलना में कम (0.62%) है। यह कमी, चीन जैसे देशों की तुलना में भारत अनुसंधान क्षमता निम्नस्तरीय होने और साथ ही अपर्याप्त अनुसंधान परिणाम और प्रभाव में परिलक्षित होती है।

दो दशक पहले, चीन का अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय भारत की तुलना में कम था। उस समय से लेकर अब तक यह 4 गुना हो गया है। निवेश में बढ़ोतरी के अतिरिक्त अनुसंधान और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करके चीन ने अनुसंधान केंद्रित संस्थानों का निर्माण किया है। चीन में दो दर्जन से अधिक अनुसंधान एजेंसियाँ उच्च शिक्षा संबंधी नीति निर्माण करने में सक्रिय रूप से संलग्न है; भारत में इनका अभाव है। नीतिगत सुधारों ने चीनी उच्च शिक्षा संस्थानों में वैश्विक मानकों को पोषित किया है। यह प्रकाशनों, पेटेंट में मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है और कुछ मानदण्डों की दृष्टि से वैश्विक रूप से शीर्ष दस रैंकिंग अकादमिक संस्थानों में चार इसमें हैं। चीन का ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रुपांतरण यह दर्शाता है कि प्राथमिक रूप से निजी क्षेत्रक से होने वाला वित्तपोषण शीर्षस्तरीय अनुसंधान उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है। अनुसंधान का समर्थन करने के लिए संधारणीय बाजार समाधान सीमित हैं। अनुप्रयुक्त अनुसंधान उद्योग अपने उपयोग के लिए उद्योग संचालित होना चाहिए। वर्तमान में, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों का कॉर्पोरेट संस्थाओं से सम्पर्क निम्नस्तरीय है।

अकादमिक व्यवस्था से व्यवहारिक व्यवस्थाओं तक ज्ञान के अंतरण के लिए सरकार को विश्वविद्यालयों और उद्योग के बीच संबंध को सहज एवं सुविधाजनक बनाना ही चाहिए। कारपोरेट संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला दान भी उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान के लिए सुदृढ़ अवसंरचना का निर्माण करने तथा परिसरों में शोध एवं अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना करने में सहायक हो सकता है, जो वर्तमान में दुर्लभ हैं। कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से अनुसंधान क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली सहायता को कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नियमों के अंतर्गत औपचारिक रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। भारत को विद्वत्तापूर्ण अनुसंधान में लोकोपकारी योगदान को उसी प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए जैसा चीन में किया जाता है।

3 जटिल विनियामक मानदंडों को शिथिल करें

बहुत लंबे समय से, भारत ने अपने आपको केंद्रीकृत नियंत्रण तंत्र के साथ चुनौतीपूर्ण नियामक पर्यावरण के अधीन रखा है। कई एजेंसियाँ (राज्य सरकारें, व्यावसायिक परिषदें, सम्बद्ध विश्वविद्यालय आदि), उनके अतिव्यापी कार्य, और कड़े नियमों के परिणामस्वरूप उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विखण्डन हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता की निगरानी करने और मानकों का कार्यान्वयन करने में सफल नहीं रहा है। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करने की प्रत्यायन एजेंसियों की सीमित क्षमता के परिणामस्वरूप उच्च प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं की पहचान करने और उन्हें पुरस्कार देने में विफलता रही है। इसके अतिरिक्त, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बीच 'संबद्धता' की व्यवस्था ने संस्थानों की क्षमता को कमजोर किया है जो अन्यथा उत्कृष्ट हो सकते थे।

जबकि नवीन सुधारों जैसे कि उच्च शिक्षा संस्थानों को क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने की प्रकिया ने अकादमिक स्वतंत्रता को उन्नत किया है, लेकिन विनियामक वातावरण को सहज करने के लिए और अधिक प्रयास किए ही जाने चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कायाकल्प शीघ्र ही किए जाने की संभावना है। नए शीर्ष नियामक को शैक्षिक अनुदेश में एकमात्र गुणवत्ता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखना चाहिए। विशेष क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली सूचीबद्ध गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों द्वारा प्रत्यायन की प्रक्रिया को सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह कदम प्रत्यायन संबंधी कवरेज में भी सुधार करेगा। उसके बाद अगला चरण यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि आकलन कार्रवाई करने योग्य निर्मित किए जाएं। मान्यता, स्वायत्तता, और संबद्धता के निर्णय प्रत्यायन परिणामों से संबद्ध किए जा सकते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान संवितरण का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से, श्रेष्ठता के आधार पर किया जाना चाहिए, इससे नियामकों और प्रत्यायन निकायों के बीच जवाबदेही एवं वित्तपोषणकर्ताओं की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

शहरी भारत

साहिल
गांधी

इस तथ्य को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हो चुकी है कि भारत का भविष्य शहरी होगा। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस के अनुमानों के अनुसार भारत किसी भी देश की निरपेक्ष संख्या के पदों में शहरी आबादी में सबसे अधिक वृद्धि देखेगा। 2050 तक, इसके शहरों में निवास करने वाले लोगों की संख्या वर्तमान संख्या की तुलना में बढ़ जाएगी। यह स्थिति शहरी निवासियों के लिए प्रभावी सेवा वितरण एवं जीवन योग्य परिस्थितियों की दृष्टि से उल्लेखनीय चुनौतियां प्रस्तुत करती है। यहां इस तथ्य पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि भूमि और स्थानीय स्वशासन प्रत्येक राज्य की अपनी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए कई महत्वपूर्ण सुधार भारत की केंद्र सरकार के अधिदेश के बाहर हैं। उस प्रतिवाद के साथ, केंद्र सरकार अभी भी कई महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय कर सकती है।

1 महानगरीय निकायों को मजबूत करें

महानगरीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के मुख्य विकास उत्प्रेरक हैं और इसलिए नीतिगत ध्यान एवं पोषण प्राप्त करने के योग्य हैं। लेकिन, भारत में महानगरीय प्रशासन वर्तमान में गंभीर समस्याओं से ग्रसित है, इन समस्याओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पारगमन और प्रदूषण न्यूनीकरण जैसी सेवाओं के प्रावधान के लिए विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय का अभाव इत्यादि शामिल है। क्षेत्रीय विकास एवं इसकी सहवर्ती समस्याएं भी राज्य सीमाओं को पार कर सकती हैं और विभिन्न राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी और अधिक चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं।

74वें संविधान संशोधन अधिनियम का अनुच्छेद 243ZE निर्दिष्ट करता है कि भारत में प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र की एक महानगरीय योजना समिति होनी चाहिए। महानगर योजना समिति प्रस्तावित करने का निहित विचार राज्य सरकारों के मंत्रियों, स्थानीय रूप से निर्वाचित पार्षदों, और महानगरीय समस्याओं और क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने से संबंधित अन्य अनुभवी व्यक्तियों को मिलाकर एक समन्वयक निकाय का निर्माण करने का था। जिन स्थानों पर महानगर योजना समितियाँ गठित की गई हैं वहां वे मुख्य रूप से वित्तपोषण और कार्यकर्ताओं की कमी के कारण अपनी इस भूमिका का निर्वहन करने में सफल नहीं रही हैं। इनके स्थान पर राज्य के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करने वाले महानगरीय विकास प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था को, महानगरीय योजना समितियों और विकास प्राधिकरण दोनों को प्रतिस्थापित करके अधिक सशक्त महानगरीय निकाय का निर्माण कर पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है। इस द्वि-स्तरीय (शहर और महानगरीय स्तरीय) व्यवस्था में राजस्व आवंटनों के साथ ही स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यों का स्पष्ट निरूपण होना चाहिए। इस प्रकार की पुनर्संरचना के लिए पहले से ही उदाहरण विद्यमान हैं; लंदन और टोरंटो जैसे क्षेत्रों ने महानगरीय क्षेत्रों ने महानगरीय स्तर पर परिणामों में सुधार करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किए हैं। महानगरीय प्रशासन के पुनर्गठन के लिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में संशोधन का आवश्यकता होगी।

2 किराये के आवास वाउचर योजना को कार्यान्वित करें

केंद्र और राज्य सरकारों के नीतिगत प्रयासों के बावजूद शहरों में किफायती आवास आपूर्ति की स्थिति लगातार गम्भीर बनी हुई है। सार्वजनिक आवास का प्रत्यक्ष प्रावधान अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल नहीं हुआ है। मामले को बदतर बनाने के लिए सरकारें अक्सर भूमि उपयोग विनियमों और मंजिल अंतरिक्ष सूचकांक या भवनों की ऊँचाई सीमित करने जैसे नियंत्रणों को लागू करती हैं जो आपूर्ति को बाधित करते हैं और मकानों की कीमतों को बढ़ा देते हैं। औपचारिक आवास से रहित परिवारों की बड़ी संख्या को देखते हुए, इस समस्या को केवल स्वामित्व वाले मकानों का स्टॉक बनाने पर नीतिगत ध्यान केंद्रित करने से सफलतापूर्वक हल नहीं किया जा सकता है और इसके लिए किराये के आवास की आवश्यकता होती है। शहरी भारत में, कुल आवास में किराए पर लेने के लिए उपलब्ध आवास की हिस्सेदारी वर्ष 1961 में 54% से गिरकर 2011 में 28% हो गई।

किराये पर आवास को बढ़ावा देना सस्ते आवास संबंधी व्यापक नीति का प्राथमिक घटक अवश्य बनना चाहिए। इसमें किराये की आवास के संबंध में आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों की समस्याओं को संबोधित करना सम्मिलित है। कठोर किराया नियंत्रण कानूनों और बेहद कम किराया प्राप्त होने के भय से, मकान-मालिक मकानों को किराए पर देने के स्थान पर प्राय: खाली रखना पसंद करते हैं। आपूर्ति पक्ष में सुधार के लिए राज्य सरकारों को केंद्र के आदर्श किराएदारी अधिनियम प्रारूप, 2015 के अनुरूप अपने किराया नियंत्रण कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। केंद्र द्वारा वित्तपोषण का अनुदान प्रदान करने के प्रभाव उत्पन्न करने के साधन का उपयोग किया जा सकता है और यह ऐसा भाग जोड़ सकता है जो विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्त-पोषण प्राप्त करने के लिए ऐसा किए जाने की आवश्यकता को निर्धारित करता हो। मांग पक्ष पर, लक्षित किराये की आवास वाउचर योजना बनाने और लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत, एक निश्चित आय सीमा से कम आय वाले घर परिवारों की लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी और उन्हें किराए के वाउचर प्रदान किए जाएंगे जो मासिक किराए एवं उनकी मासिक आय के बीच 30% के अंतर को कवर करेंगे। इसमें एक संभावित चुनौती आय के विषय में जानकारी के अभाव की है जो लक्ष्य निर्धारण को कठिन बना देती है, लेकिन इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

3 शहरी स्थानीय निकायों को राजस्व का अंतरण करना

शहरी स्थानीय निकायों को 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अधिदेशित कार्यों की विस्तृत श्रृंखला का आरंभ करनी है। लेकिन इनमें से कई निकायों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आवश्यक राजस्व के स्रोत प्राप्त नहीं है। जिन कार्यों को आरंभ करने का उन्हें आदेश दिया गया है और उनके राजस्व स्रोतों के बीच स्पष्ट बेमेल दिखाई देता है। विश्वसनीय और स्वायत्त राजस्व स्त्रोतों के अभाव में, सरकार के तीसरे स्तर को प्रत्यक्ष रूप से राजकोषीय हस्तांतरण करना पूर्वानुमानित निधि प्रवाह प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग हो सकता है। अर्थशास्त्री और वित्त आयोग के पूर्व प्रमुख विजय केलकर ने प्रस्ताव दिया है कि राज्य और केंद्र दोनों वस्तु एवं सेवा कर राजस्व का एक भाग शहरी स्थानीय निकायों के साथ साझा कर सकते हैं– इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। ये राजस्व गैर-अनुबद्ध अनुदानों के रूप में होंगे जिन्हें स्थानीय निकाय किसी भी रूप में उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था इस आधार पर भी न्यायसंगत है कि यह करदाताओं को वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग करने की पद्धति निर्धारित करने में अधिक दृढ़तापूर्वक अपनी अपना मत व्यक्त करने का अवसर देती है।

यद्यपि हो सकता है कि ये सुधार बहुत अधिक मौलिक प्रतीत नहीं होते हों लेकिन वे कई मिलियन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। सुचारु शहरी संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए नई सरकार को इन्हें आरंभ करने हेतु इच्छुक होने की आवश्यकता है।

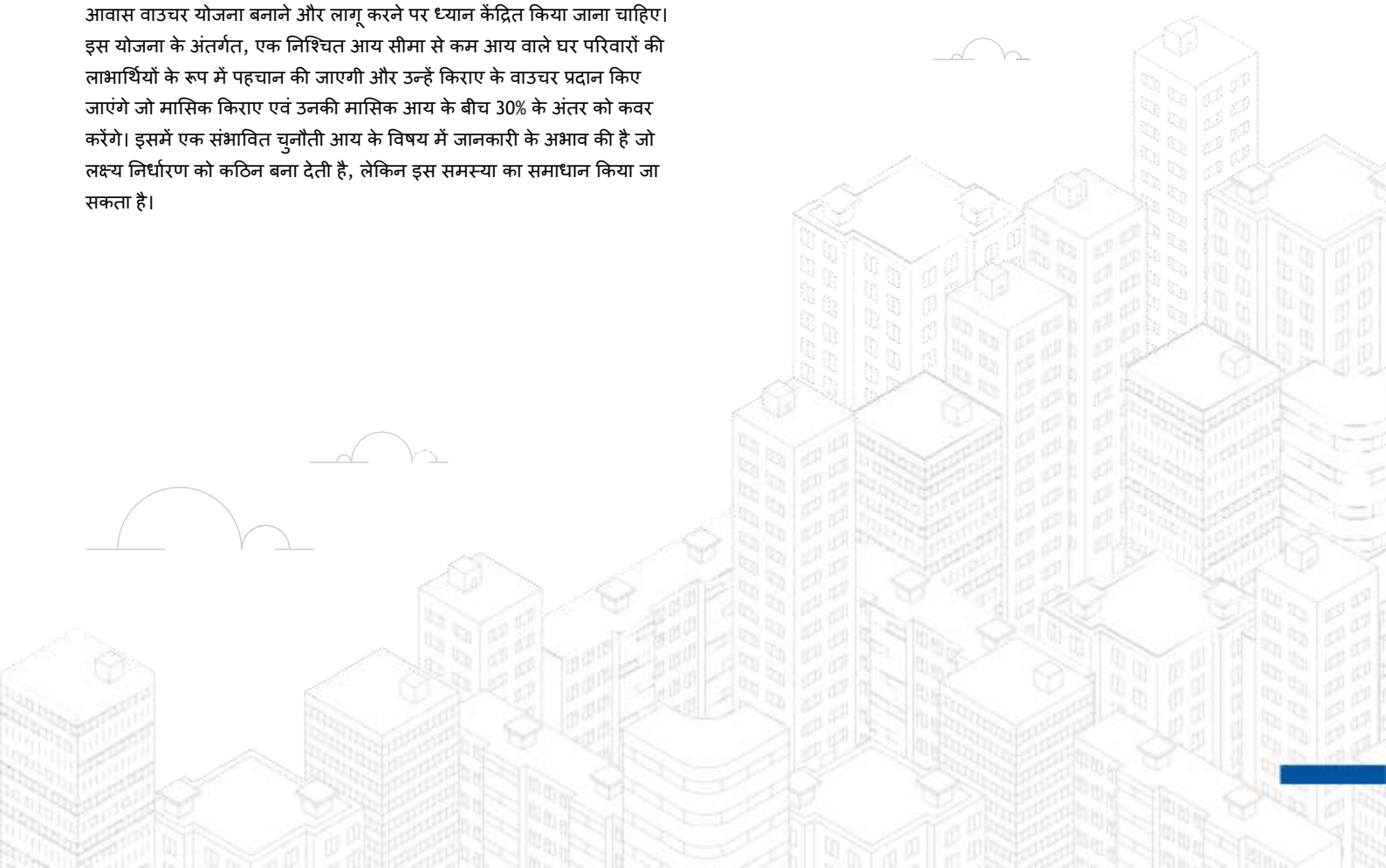

सूचना संपन्न भारत

प्रेरणा
शर्मा

शमिका
रवि

कई वर्षों से, सरकारों, नीति निर्माताओं और परोपकारी लोगों ने विशिष्ट लक्ष्यों और विकास परिणामों को प्राप्त करना संभव करने हेतु सामाजिक कार्यक्रमों के प्रतिपादन के लिए निधियों का योगदान किया है। इन निधियों का उपयोग निर्धनता, भूख, कुपोषण और अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत समस्याओं से निपटने के लिए किया जाता रहा है और उन्होंने आवश्यकतानुसार विभिन्न अंशों में सफलताएं प्राप्त की हैं। सरकार प्रतिवर्ष सामाजिक सेवा कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है लेकिन उनमें से अधिकांश परिणामों के आकलन पर ध्यान केंद्रित किए बिना किए जाते हैं। यही कारण है कि इस व्यय की प्रभावशीलता का आकलन करना असंभव हो गया है। मापनों की प्रवृत्ति, उत्पादन और परिणाम की उपलब्धि के स्थान पर निविष्टियों और उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करने की रहती है। यह सरकारों और निजी प्रतिभागियों के लिए अपने निवेशों और व्ययों के विषय में समुचित सूचना के आधार पर, साक्ष्य आधारित सटीक विकल्पों का चयन करने की प्रकिया को चुनौतीपूर्ण बनाता है।

उदाहरण के लिए, शिक्षा को लीजिए। शिक्षा के प्रति भारत सरकार द्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त करने और शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित करने के बाद भी भारत के कुछ शिक्षा संकेतक विश्व के सर्वाधिक निम्नस्तरीय संकेतकों में से एक हैं। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2018 के अनुसार, कक्षा 5 में नामांकित सभी बच्चों में से केवल आधे से कुछ अधिक बच्चे ही कम से कम कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं और कक्षा 3 के केवल 28.1% बच्चे अंकों को घटाने की संक्रिया कर सकते हैं। कुछ राज्यों के ग्रामीण भागों, उदाहरण के लिए राजस्थान में, लड़के की तुलना में लड़की के स्कूल से बाहर होने की संभावना लगभग दुगुनी होती है।

भारत में नीतियां और कार्यक्रम प्रायः अक्षमताओं से ग्रसित होते हैं और ना तो स्थापित संस्थान मानकों और न ही सामाजिक संवादों ने व्यापक प्रभाव उत्पन्न करने वाले निर्णयों के लिए पर्याप्त रूप से सुस्पष्ट प्रामाणिक समर्थन की मांग की है। यही कारण है कि सरकारें और अधिकारी तंत्र जैसा चलता रहा है वैसा ही चलते रहने देने में सफल हो जाते हैं। इसलिए, साक्ष्य द्वारा समर्थित सुदृढ़ नीतियां समय की आवश्यकता हैं।

1 विभिन्न डेटा प्लेटफार्मों के बीच परस्पर अनुकूलता स्थापित करें

आगे बढ़ते हुए, विकास कार्यक्रम या हस्तक्षेप से पहले, उसकी संपूर्ण अवधि के दौरान और उसके बाद उच्च गुणवत्तापूर्ण डेटा और सूचना प्रबंधन, महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। या तो उच्च स्तर से निम्न स्तर या निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर के क्रम में इस डेटा अवसंरचना का निर्माण –संधारणीय और उत्तरदायी नीतिगत ढांचे हेतु मौलिक आवश्यकता होगी। डेटा की विद्यमानता के स्थान पर डेटा की उपलब्धता भी भारत में भी बड़ी चुनौती प्रतीत होती है, जहां कई तरह की सरकारी संस्थाएं- जैसे कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एवं अन्य - विशाल परिमाण में डेटा एकत्र करती हैं लेकिन डेटा की उपलब्धता संबधी नीतियों के विषय में उनके बीच समन्वय या परस्पर अनुरूपता सीमित मात्रा में ही पाई जाती है। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से व्यक्तिगत स्तर की जानकारी के बारे में डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता एक चुनौती प्रतीत होती है। सरकार के भीतर विभिन्न डेटा प्रणालियाँ और प्लेटफार्म सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहे हैं, जिन्हें परस्पर अनुकूल रूप से व्यवस्थित नहीं किया गया है।

इससे डेटा के अलग-थलग कोष्ठकों का निर्माण होता है जिससे सूचना की विश्वसनीयता उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होती है क्योंकि सरकारी संस्थान विभिन्न एजेंसियों के अनुमानों से गुजरकर करके किसी सामाजिक समस्या के प्रति विभिन्न मान्यताओं और मॉडलों को लागू करते हैं। इसका एक संभावित उपचार ऐसे डेटा विश्लेषकों और तकनीकी कोडर्स को काम पर रखना हो सकता है जो विभिन्न प्लेटफार्मों के बीच परस्पर अनुकूलता (सहसम्बद्धता) स्थापित कर सकने में सक्षम हों। तीव्र गति से परस्पर सहसम्बद्धता स्थापित कर सकना संकेतक के संग्रहण की प्रक्रिया से विश्लेषण की प्रक्रिया की ओर ले जाने में सहायक हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत में नागरिक समाज का व्यापक परिमाण और पहुंच होने के बाद भी भारतीय सरकारी संस्थान निजी या गैर-लाभकारी क्षेत्रकों के भीतर केवल सीमित रूप में ही संलग्न होते हैं। सामाजिक सेवा प्रदाता एवं निजी अनुसंधान संस्थान बड़ी मात्रा में स्वामित्वगत जानकारी (उदाहरण के लिए, सर्वेक्षणों या फ़ोकस समूहों के माध्यम से) इकट्ठा करते हैं, जिसमें सरकारी डेटाबेस के पूरक के रूप में कार्य करने की अत्यधिक क्षमता विद्यमान होती है। डेटा-साझाकरण नीतियों का संस्थानीकरण अधिकाधिक मुक्त डेटा संस्कृति बनाने में योगदान कर सकता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के सक्रिय योगदानकर्ता सूचना को व्यवस्था के ऊपरी स्तर से निचले और निचले स्तर से ऊपरी स्तर के बीच साझा करते हैं।

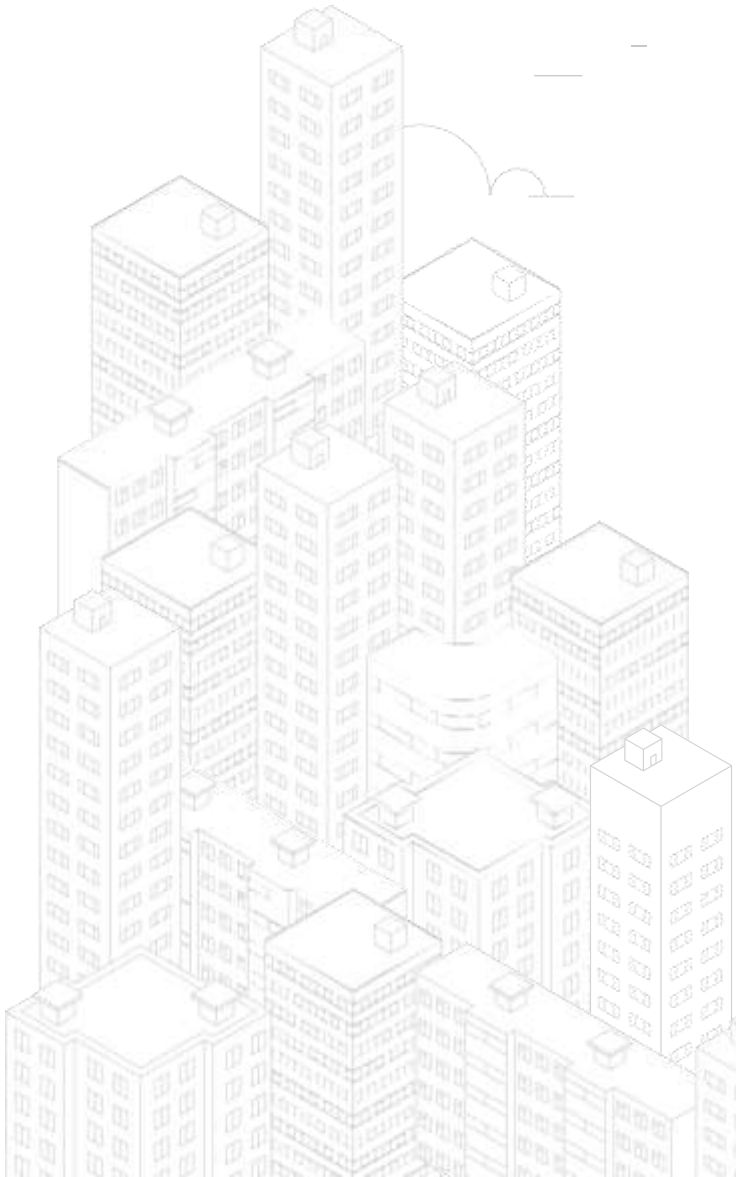

2 प्रभाव मूल्यांकनों के लिए निजी योगदानकर्ताओं की क्षमता का सुनियोजन करें

स्वस्थ डेटा विश्लेषण एवं अधिकारीवर्ग और राजनेताओं द्वारा दैनिक रूप से सामना की जाने वाली संचालनगत, कानूनी, नैतिक और राजनीतिक समस्याओं के बीच अंतराल पाटने के लिए सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता होती है- अनुसंधान और नीति का मिलन इसी बिंदु पर होता है। प्रमाणों के आधार पर निर्मित की जाने वाली नीति में केवल प्रमाण ही नहीं बल्कि उससे उत्पन्न समझ ही अंततः मायने रखती है। समुचित जानकारी के आधार पर विकल्पों का निर्माण करने के लिए प्रमाणों को संचयी रूप से समझना और उनका संयोजन करना एकत्रित डेटा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग हो जाता है।

एक ओर, जहाँ नीति निर्माण को प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्रदान कर सकने और समृद्ध कर सकने वाले सार्थक अनुसंधान की एक विशाल राशि विद्यमान रहती है, लेकिन अनुसंधानकर्ता प्रायः अपने कार्य को विशिष्ट नीतिगत प्रश्नों का उत्तर देने या उनका समाधान करने के लिए अनुकूलित नहीं करते हैं। दूसरी ओर ऐसे विशिष्ट कार्य क्षेत्रों और क्षेत्रक विशिष्ट समस्याओं के विषय में विचारों और विश्लेषण की भारी कमी रहती है, जहाँ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को दिन प्रतिदिन कार्यान्वित करने वाले नीति निर्माता और अधिकारी वर्ग सहायता का उपयोग कर सकते हैं।

यद्यपि प्रमाणों को नीति के साथ में संबद्ध करना महत्वपूर्ण है, लेकिन नीति निर्माताओं में पहले से उपलब्ध जानकारी का लाभ उठाने की क्षमता विकसित करने के लिए अनिवार्य रूप से निवेश किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए डेटा और प्रमाणों को स्पष्ट रूप से विश्लेषण अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि भविष्य के प्रभाव का प्रतिदर्श निर्मित करने के लिए इन्हीं के द्वारा आधार निर्मित किया जाता है। शैक्षणिक संस्थानों के ज्ञान और संसाधनों को प्रभाव आकलन की क्षमता का निर्माण करने की प्रक्रिया का लाभ अवश्य उठाना चाहिए।

क्योंकि सरकार निरंतर और वास्तविक प्रभाव प्राप्त करने की विधियां खोजने के लिए संलग्न रहती है इसलिए कुछ प्रदाता और भागीदार संबंधों को इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे सरकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा निर्धारित करने के विषय में उचित जानकारी दें। इनमें सफल होने पर भुगतान करने के कार्यक्रम एवं सामाजिक एवं विकास बंधपत्रों जैसे साधन सम्मिलित हैं। यदि इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए तो, पूर्व निर्धारित सामाजिक परिणामों को सफलता पूर्वक प्राप्त करने पर आधारित भुगतान की रूपरेखा, दक्षता को बढ़ा सकती है, लागतों को कम कर सकती है और कार्यक्रम की सफलता पर उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है।

ऐसी तकनीकों के विकास की प्रारंभिक अवस्था को देखते हुए मापन प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणाली को महत्व अवश्य दिया जाना चाहिए। यह न केवल सरकारों के बीच डेटा संस्कृति (आंकड़ों के आधार पर नीतिगत निर्णय लेने की कार्यप्रणाली) को स्थापित करने में प्रभावी सिद्ध होगा अपितु परिशुद्ध परिमाण निर्धारण प्रक्रिया के माध्यम से उचित जानकारी के आधार पर नीति निर्माण करने के महत्व को भी उजागर करेगा।

सुरक्षित भारत

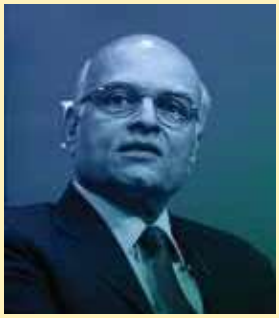

शिवशंकर मैनन

यदि भारत के उत्तरोत्तर विकास को सुनिश्चित करना है तो हमें नई परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना ही होगा। इसके लिए तत्काल ही कम से कम रक्षा संबंधी सुधार, विदेश नीति सुधार, एवं हमारी सुरक्षा संरचनाओं और पद्धतियों के सुधार की आवश्यकता है।

1 राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाएं अद्यतित करें

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रणाली और इसकी कार्य प्रणाली के विषय में हमें 20 वर्ष का अनुभव है। इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदात्री समिति, और उसके सहयोगी निकायों को उचित वैधानिक आधार पर स्थापित करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ उनके अधिकारों और कार्यों को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जैसा कि अन्य संसदीय लोकतंत्रों ने किया है। भारत में, बीसवीं शताब्दी की चुनौतियों, जैसे कि देश की साइबर सुरक्षा और नागरिकों के डेटा की गोपनीयता, का सामना करने के लिए प्रायः 19वीं शताब्दी के विधिक और प्रशासनिक साधनों पर निर्भरता भी व्याप्त है। इस स्थिति में पर्याप्त मात्रा में क्षमता, विनियमन एवं विधिक प्राधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। भारत को साइबर क्षेत्र में इन कार्यों को करने के लिए और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हार्डवेयर संबंधी आवश्यक क्षमताओं का निर्माण करने के लिए दीर्घावधिक कार्य संपन्न करने की प्रक्रिया आरंभ करने हेतु जनशक्ति को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है– जिसकी आपूर्ति इतनी कम है। अंत में यदि भारत को वर्ष 2012 के बाद से सांप्रदायिक हिंसा में हुई वृद्धि का सामना करना है और जम्मू कश्मीर और अन्यत्र कहीं भी हमारे समाज पर राजनीतिक उपचार की मरहम लगाना है तो पुलिस सुधार भी आवश्यक हैं।

2 रक्षा सुधार लागू करें

यही समय है कि भारत 21 वीं सदी के सशस्त्र बलों का निर्माण करे। इसके रक्षा सुधार अनिवार्य रूप से क्षमता चालित होने चाहिए जो इसे संकर-युद्ध से निपटने, संभावित विरोधियों को भय दिखाकर रोकने, और आवश्यक होने पर अपनी सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए शक्ति का उपयोग करने में सक्षम करें। अपने स्वयं के रक्षा उत्पादन उद्योग के बिना, भारत कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। समाधान ज्ञात हैं और एक के बाद एक अस्तित्व में आने वाले सरकारी निकायों द्वारा उनकी अनुशंसा की जाती रही है। अब इनके कार्यान्वयन का समय आ गया है।

3 विदेश नीति को समेकित स्वरूप प्रदान करें

विदेश नीति संबंधी उपकरणों को संख्या की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से और हमारे समाज में पारस्परिक संबद्धता की दृष्टि से मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भारत की विदेश आर्थिक नीति को इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और पहुंच के अनुरूप सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है और हमारी विदेश नीति के साथ संस्थागत रूप से और अभ्यास मूलक रूप से एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ भारत को रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों का निर्धारण करने; अपने विस्तारित पड़ोसियों एवं उपमहाद्वीप के साथ पुन: संबंध स्थापित करने और अपने आप को सुरक्षित करने और शांति बनाए रखने के लिए साझेदारों के साथ मुद्दों पर आधारित गठबंधन निर्मित करने की हेतु नई रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है, जो प्रगति की दिशा में भारत के सतत अग्रगमन के लिए आवश्यक होगी।

वैश्विक भारत

ध्रुव जयशंकर

भारत की नई सरकार एक ऐसी दुनिया का सामना कर रही है जो पिछले 5 साल की दुनिया से बहुत भिन्न दिखाई देती है, और पिछले 10 या 20 साल की दुनिया से तो बिल्कुल ही भिन्न है। वैश्विक अर्थव्यवस्था भारी समस्याओं का सामना कर रही है, जैसे कि रुद्ध व्यापार, विघटनकारी प्रौद्योगिकियाँ, कृषि संबंधी और विनिर्माण संबंधी वस्तुओं, प्रमुख सेवाओं, तकनीकी हस्तांतरण एवं श्रम गतिशीलता के विषय में निरंतर बढ़ता संरक्षणवाद। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार, गठबंधन, और बहुपक्षीयता संबंधी नियमों को नए सिरे से गठित कर रहे हैं, जिनमें से कुछ उनके राष्ट्रपतित्व काल के बाद भी भली प्रकार से जारी रह सकते हैं। अपनी आर्थिक वृद्धि में गिरावट आने से चीन अधिक हठधर्मी हो गया है और इसमें भारत सहित अन्य देशों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी आ गई है। यह बात द्विपक्षीय सीमा विवाद, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और हिंद महासागर की सुरक्षा करने सहित), आर्थिक और व्यापारिक मतभेदों, और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में स्थिति पर लागू होती है। भारत भूटान, नेपाल, बांग्लादेश म्यांमार श्रीलंका और मालदीव से अपनी सीमा साझा करता हैं- इसके लोकतंत्रीकरण, नए अवसरों और दीर्घकालिक स्थिरता का निर्माण होने की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं लेकिन साथ ही एकीकरण और सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां भी प्रस्तुत होती हैं। पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता संपन्न देश होने का दंभ भरते हुए आतंकवादी संगठनों के सहयोग से भारत विरोधी रुख अपनाया हुआ है भले ही इसकी स्वयं की मूलभूत आर्थिक अवसंरचनाएं निरंतर कमजोर होती जा रही हैं। अफगानिस्तान का भविष्य अभी भी अनिश्चित है और फारस की खाड़ी क्षेत्र में और पश्चिमी देशों और रूस के बीच अभी भी उच्च स्तर पर तनाव व्याप्त है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2024 तक नई भारत सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए?

1 व्यापार और रक्षा स्वदेशीकरण को प्राथमिकता दें

वाणिज्य तेजी से एक रणनीतिक उपकरण बनता जा रहा है, और भारत का विकसित होता बाजार अन्य प्रतिभागियों के सहयोग से लाभप्रदता के संभावित केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। हालांकि भारत की व्यापार नीति पर पारंपरिक रूप से घरेलू प्राथमिकताओं का जोर रहा है। भारत को तुलनात्मक लाभ प्राप्त होने के क्षेत्रों की पहचान करना, चयनात्मक रूप से उदारीकरण करना, और विभिन्न मंत्रालयों के बीच, विशेष व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय के निर्माण आदि के माध्यम से व्यापार नीति संबंधी समन्वय स्थापित करना- महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) जैसे मुद्दों पर भारत आसन्न और कठिन विकल्पों का सामना कर रहा है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) में शामिल होना भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रकों को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा; लेकिन इसमें शामिल नहीं होने की भी लागतें होंगी, और भारत क्षेत्रीय व्यापार मानदंडों की नई पीढ़ी से अलग-थलग पड़ जाएगा। व्यापार नीति तैयार करने और कुछ बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वार्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए अब प्रयास किए ही जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता को टाला जा सके।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक अन्य तात्कालिक प्राथमिकता बनी हुई है। भारत का रक्षा बजट विश्व का पांचवा सबसे बड़ा रक्षा बजट होने और एक विशाल रक्षा उद्योग को संरक्षण प्रदान करने पर भी, भारत अभी भी रक्षा क्षेत्र से संबंधित उपकरणों का विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है जबकि इसके निर्यात अभी भी नगण्य हैं। रक्षा उपकरणों के उत्पादन के स्वदेशीकरण के लिए: बजटीय, तकनीकी, औद्योगिक, और निर्यात कारकों को सैन्य सेवाओं की गुणवत्तापरक आवश्यकताओं (QR) में एकीकृत करने, वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों का नियमित वितरण सुनिश्चित करने, और रक्षा संबंधी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के बीच संविदाओं और नवाचार के लिए बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इनमें से कई नीतियों के लिए शीर्ष स्तर से अधीनस्थ स्तरों तक नेतृत्व संबंधी निर्णयों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता होगी, ऐसे निर्णय प्रायः भारतीय अधिकारी वर्ग और व्यवसायों में व्याप्त और गहराई तक जड़ जमाए बैठे निहित स्वार्थों के विरुद्ध, और समय, वित्तीय संसाधनों, दक्षता और राजनीतिक इच्छाशक्ति जैसी नितांत वास्तविक बाधाएं होते हुए भी लिए जाने की आवश्यकता होगी। लेकिन इन क्षेत्रों में निर्णय लेने की क्षमता का अभाव वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उदय को गंभीर रूप से बाधित करेगा।

2 पड़ोस और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान क्रेन्द्रित करें

भारत द्वारा सामना की जा रही सबसे बड़ी बाहरी सामरिक चुनौती चीन के उदय के स्वरूप और इसकी निरंतर बढ़ती स्वेच्छाचारिता के कारण उत्पन्न होने हुई चिंताओं संबंध में है। यह हिमालय के सीमावर्ती क्षेत्रों और हिंद महासागर में निरंतर सैन्य क्षमता का विस्तार करके; पाकिस्तान के साथ चीन के गहराते संबंध; रूस, नेपाल, और मालदीव आदि के साथ भारत के संबंधों को गुप्त रूप से हानि पहुंचाते हुए; डंपिंग, व्यापार बाधाओं, और प्रतिस्पर्धी अलाभ उत्पन्न करने वाली गैर बाजार आर्थिक प्रथाओं; और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और नाभिकीय आपूतकर्ता समूह में भारत के प्रवेश जैसे कई भारतीय हितों पर अतिक्रमण कर रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नई सरकार को, राजनयिक रूप से ध्यान देने, सहायता प्रदान करने, परस्पर संबद्धता में सुधार करने, और क्षेत्रीय संस्थानों को नए सिरे से सकारात्मक भूमिका में प्रस्तुत करने सहित अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिए लेजर की तरह ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त भारत को भारत प्रशांत क्षेत्र में विश्व के पूर्वी भागों पर ध्यान केंद्रित करने की नीति (एक्ट ईस्ट पॉलिसी) को अनिवार्य रूप से जारी रखना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हिंद महासागर का और अधिक सैन्यीकरण किए जाने से बचाने हेतु कार्य करने की आवश्यकता होगी। दूसरा, भारत को राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सामाजिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जुड़ना चाहिए। तीसरा, नई दिल्ली को संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, और फ्रांस जैसी संतुलनकारी शक्तियों के साथ सुरक्षा साझेदारी को अनिवार्य रूप से घनिष्ठ बनाना चाहिए। और चौथा, इसे निरंतर प्रयास के माध्यम से बीजिंग के साथ अपने मतभेदों का समाधान करना चाहिए।

3 पाकिस्तान को नियंत्रित करें यूरेशिया में शक्ति संतुलन स्थापित करें

जबकि निकटवर्ती विदेश और भारत के पूर्व में अपनायी जाने वाली नीति, दर्शन का प्रश्न कम और कार्यान्वयन का प्रश्न अधिक है, इसलिए भारत के पश्चिम और उत्तर के लिए एक पेचीदी संतुलनकारी कार्रवाई की आवश्यकता होगी। इसमें से अधिकतर पाकिस्तान की तात्कालिक समस्या पर केन्द्रित होगा। 1989 से 2016 तक भारत पाकिस्तान के साथ वार्ता चक्र में उलझा हुआ था जिसमें पाकिस्तानी सैन्य और आतंकवादी उकसावों से उत्पन्न अवरोधों के कारण रुकावट पैदा की जाती रही थी। इस संलग्नता ने कई बार अंतरराष्ट्रीय तिरस्कार कम करने, तृतीय-पक्ष मध्यस्थता के प्रयासों को विक्षेपित करने और इसे न्याय निर्णयन के अगले स्तर की ओर अग्रेषित करने को प्रबंधन किया। हालांकि यह अनुभव यह भी स्पष्ट करता है कि सकारात्मक संलग्नता ने पाकिस्तानी व्यवहार में परिवर्तन करने में बहुत न्यून योगदान किया है। पाकिस्तान के साथ बढ़ती अंतरराष्ट्रीय हताशा- चाहे आतंकवादी गुटों के लिए निरंतर जारी समर्थन, इसके प्रतिकूल नागरिक-सैन्य संबंधों, इसके परमाणु अप्रसार संबंधी रिकॉर्ड, या अफगानिस्तान में भागीदारी इत्यादि जैसे किसी भी परिप्रेक्ष्य में- दोनों देशों के परमाणु हथियारों से संपन्न होने से प्रस्तुत दायरे के भीतर, भारत के लिए लगातार अपने फायदे की बात पर जोर देने का अवसर प्रस्तुत करती है। हालांकि पाकिस्तान चीन से मिलने वाले संभावित समर्थन के साथ अपने प्रतिरोधी व्यवहार का विरोध जारी रखेगा, पाकिस्तान का निरंतर अलगाव - भले ही एकतरफा और शुरू में अपर्याप्त हो- शक्ति असमानता अधिकाधिक रूप से भारत के पक्ष में बढ़ते जाने के साथ वार्ताओं और व्यवधानों का चक्र पुनः आरम्भ होने के स्थान पर व्यवहारगत परिवर्तनों में परिणामित होने की अधिक से अधिक संभावना है।

पश्चिम एशिया और यूरेशिया में और अधिक नाजुक संतुलनकारी कार्रवाइयों का निष्पादन करना होगा। वैश्विक और क्षेत्रीय शक्ति के कई केंद्रों के साथ भारत की भागीदारियाँ तेजी से सकारात्मक और व्यापक स्वरूप ग्रहण करती जा रही हैं, और इन्होंने अपना एक तर्कसंगत स्वरूप प्राप्त कर लिया है । यह तथ्य संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिणपूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, और इसराइल पर भी लागू होता है। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण संबंध बने रहेंगे। लेकिन इन संबंधों में सुधार होने के साथ, भारत रूस और ईरान के साथ पारस्परिक लाभकारी संबंध बनाए रखने में कठिन संतुलनकारी कार्रवाई का सामना करेगा। रूसी सैन्य हार्डवेयर, पुर्जों और रखरखाव पर भारत की निरंतर निर्भरता; घनिष्ठ तकनीकी सहयोग; और चीन के साथ रूस के संबंधों के बारे में चिंता को देखते हुए रूस अधिक महत्वपूर्ण और जटिल है । मास्को के साथ संलग्नता संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के साथ संबंधों को यदा-कदा खतरे में डालेगी, लेकिन इसके लिए स्पष्ट दृष्टिकोण से किए जाने वाले लागत लाभ विश्लेषणों की श्रृंखला की आवश्यकता होगी। ईरान के साथ उथले स्तर पर ही संबंध होने कारण यह अपेक्षाकृत अधिक बेहतर रूप से प्रबंधित किया जा सकने वाला मुद्दा है, लेकिन कनेक्टिविटी और अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर सहयोग महत्वपूर्ण बना रहेगा। भारत को यथासंभव सीमा तक इन संतुलनकारी कार्रवाइयों को प्रबंधित करना चाहिए।

पड़ोसी देशों के प्रति मित्रवत् भारत

कन्सटैन्टिनो जेवियर

हाल के वर्षों में, मुख्य रूप से चीन के विस्तारवादी प्रभावों की प्रतिक्रिया में दक्षिण एशियाई पड़ोस नई विदेश नीति प्राथमिकता बन गया है। 2014 में, नई दिल्ली ने अपनी "पड़ोस पहले" नीति के साथ अपने दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन किया और अधिकांश पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। हालांकि, ये प्रयास काफी विलम्ब से किए गए और कई दशकों तक बरती गई उपेक्षा की भूल को ठीक करने के लिए बहुत अल्प थे। "कनेक्टिविटी (संपर्क)" के लोकप्रिय शब्द से परे, नई दिल्ली द्वारा अपने पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया से अपने दर्शन को जमीनी स्तर पर वास्तविकता में परिणत करने में व्याप्त क्षमता संबंधी व्यापक बाधाएं उजागर हुई हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भारत ने अपने पड़ोसियों को प्राय: निराश किया है और कुछ मामलों में तो चीन के लिए अपनी पकड़ को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय संदर्भ को संबोधित करने के लिए, वर्ष 2024 तक भारत को निम्नलिखित तीन प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

1 कार्यान्वयन अंतराल को कम करें

चाहे वह पड़ोस पहले (नेबरहुड फर्स्ट) की, पूर्व को प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई करने (एक्ट ईस्ट) की, या क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर केंद्रित कोई भी अन्य नीति हो, जब तक भारत अपनी कार्यान्वयन क्षमता में बढ़ोत्तरी नहीं करता है तब तक उसका प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से कम ही रहेगा। राजनीतिक नेतृत्व की ओर से अधिकाधिक प्रतिबद्धताएं व्यक्त करने की प्रक्रिया पहले से ही जिम्मेदारियों के बोझ से व्याकुल अधिकारी वर्ग को और अधिक तनाग्रस्त कर देगी और कार्यान्वयन अंतराल को बढ़ाएगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्सटेक को अपनी प्राथमिकता घोषित किया तब 2016 से पूर्व यह किसी प्रकार की अधिक स्पष्ट नहीं था, यहाँ तक कि संगठन के सचिवालय में भारतीय निदेशक की प्रतिनियुक्ति करने तक में दो वर्ष का समय लग गया, अनुवर्ती कार्रवाई करने और प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरने में भारत की विफलता ने इसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ऐसे आकलन से एक दायित्व के रूप में प्रस्तुत होते हैं क्योंकि ये चीन को विकल्प के रूप में स्वीकार करने के लिए देशों को विकृत रूप से और अधिक प्रोत्साहित करते हैं।

पड़ोस में इस कार्यावयन अंतराल को कम करने के लिए, सरकार को पहले भारतीय विदेश सेवा के वार्षिक आगतों का विस्तार करना चाहिए। इसे पड़ोस से संबंधित आर्थिक, सुरक्षा और सामरिक मामलों पर नीति निर्माण में निविष्टियों की पेशकश करने के लिए पार्श्व प्रविष्टि और बाहरी विशेषज्ञों के लिए अवसरों में भी वृद्धि करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि, इसे विदेश मंत्रालय एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए संलग्न किए अन्य मंत्रालयों के बीच समन्वय एवं अधिकारियों की क्रॉस पोस्टिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय द्वारपाल के रूप में विदेश मंत्रालय की भूमिका एवं अन्य मंत्रालयों, सशस्त्र सेनाओं और राज्य सरकारों द्वारा अंतरराष्ट्रीय संलग्नता को वीटो करने के इसके विवेकाधिकार को कम किया जाना चाहिए। तीसरा, प्रधानमंत्री को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर कैबिनेट-रैंक के विशेष दूत की नियुक्ति करनी चाहिए, जिसे पड़ोसी देशों में सरकार के प्रमुखों को और प्रमुख राजनीतिककर्ताओं तक सीधे पहुंचने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। इस दूत को अधिकारीतंत्रीय निविष्टियों और औपचारिक द्विपक्षीय चैनल कर उल्लंघन नहीं करना चाहिए अपितु उनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। अंततः, सरकार को क्षेत्रीय अवसंरचना परियोजनाओं/सुविधा (2014 में घोषित) में तेजी लाने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन लागू करना चाहिए। इसे परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई के अधिनिर्णय पर निर्भरता कम करनी चाहिए और, इसके स्थान पर, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय निजी कंपनियों के लिए खुली निविदा प्रक्रियाओं का विशेषाधिकार प्रदान करना चाहिए।

2 उदाहरण प्रस्तुत करके और अपनी विशिष्ट स्थिति के आधार पर राह दिखाएं

उपमहाद्वीप की प्रमुख शक्ति के रूप में, क्षेत्रीय संपर्क में भारत का निवेश केवल तभी सफल होगा जब यह अपने उदाहरण प्रस्तुत करके मार्गदर्शन करे और पहले अपने छोटे पड़ोसियों के लिए उदारता दर्शाए। इस तरह के पारस्परिकता भिन्नता (असममिति) के अंतर्निहित लाभ, जिन्हें नब्बे के दशक में लोकप्रिय रूप से "गुजराल के सिद्धांत" के रूप में जाना जाता था, को केवल परोपकारिता या उदारता की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने 2010 में जोर दिया, उसी के अनुरूप भारत को अपने पड़ोसियों को "पारस्परिक रूप से प्राप्त होने वाले लाभ पर ध्यान दिए बिना, [लेकिन] हमारे अपने व्यापक (प्रबुद्ध) हित को ध्यान में रखते हुए" संलग्न करना चाहिए। भारत के घरेलू हितों का अनुगमन अधिकाधिक रूप से क्षेत्रीय निर्भरता पर निर्भर करता है।

कनेक्टिविटी में भारत के निवेश पर घरेलू और विदेश दोनों स्तरों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता होती है। आंतरिक रूप से, अधिकाधिक खुलेपन के लिए घरेलू विपक्षी समूह को समझाने (या विवश करने) और पड़ोसी देशों को प्राप्त होने वाले असममित लाभों की राजनीतिक लागतों को अवशोषित करने के कौशल की आवश्यकता होगी। बाह्य रूप से, अधिक से अधिक कनेक्टिविटी के लिए भारत पर अत्यधिक निर्भरता के बारे में, या इसके आर्थिक और जनसांख्यिकीय दबावों से अभिभूत होने से संबंधित भय शांत करने के कौशल की भी आवश्यकता होगी। पड़ोसियों को दी जाने वाली रणनीतिक रियायतें दीर्घकाल में अपारस्परिक (एकतरफा प्रदान किए जाने वाले) अवसरों के माध्यम से विश्वास उत्पन्न करके लाभान्वित करेंगी।

इसके लिए सकारात्मक विभेद के आधार पर निम्न चरणों की आवश्यकता है। पहला, भारत को भारतीय क्षेत्र के माध्यम से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच भूमि आधारित व्यापार और परिवहन पर अधिकारी वर्ग संबंधी, टैरिफ, सुरक्षा और किसी भी अन्य प्रकार की बाधाओं को समाप्त करना चाहिए। दूसरा, इसे पड़ोसियों को भारतीय रेलवे और बंदरगाहों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करने के साथ ही भारतीय हवाई क्षेत्र की ओर/के आर-पार उड़ान भरने के लिए नए हवाई परिवहन गलियारे की पेशकश करनी चाहिए। इसे पड़ोसी देशों से आने वाले नागरिकों को भारत तक विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच पेश करने के लिए वीजा नीतियों में संशोधन भी करना चाहिए। पड़ोसी बांग्लादेश या म्यांमार के नागरिक की तुलना में किसी अमेरिकी या चीनी व्यक्ति के लिए भारत आना अपेक्षाकृत आसान होने कारण थोड़ा कम समझ आता है। तीसरा, इसे अपनी सीमा नियंत्रण अवसंरचना को आधुनिक बनाना चाहिए और विभिन्न एकीकृत चेक पोस्ट को और अधिक विस्तारित करके सीमा पार प्रवाह को सुविधाजनक स्वरूप प्रदान करना चाहिए। इस प्रकिया में स्मार्ट पहचान प्रणाली के निर्माण से लाभ प्राप्त होगा जो काठमांडू की ओर से किए गए अनुरोध के अनुरूप भारत और नेपाल के बीच सीमा पारगमन को औपचारिक स्वरूप प्रदान करती हो। अंततः, भारत को दक्षिण एशिया में इसकी संवेदनशील व्यापार सूचियों पर शेष सभी वस्तुओं को धीरे-धीरे हटा लेना चाहिए, जबकि साथ ही बहुपक्षीय व्यापार और ऋण संगठनों में "अल्पविकसित" श्रेणी में बने रहने की बांग्लादेश और नेपाल की मांगो का समर्थन भी करना चाहिए ।

3 पहल करने की क्षमता पुन: प्राप्त करें

चीन अब दक्षिण एशिया में एक निवासी शक्ति है और इसने क्षेत्र में भारत के प्रभाव का आभासी-एकाधिकार समाप्त कर दिया है। चीन अब भारत की परिधि में अवसंरचना के आधुनिकीकरण और विकासात्मक पहलों का समर्थन करने वाले मुख्य खिलाड़ियों में से एक है- चाहे यह ऑप्टिक फाइबर या नेपाल को हिमालय के पार जोड़ने वाले रेल लिंक; श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह की 99 साल की लीज; या ढाका स्टॉक एक्सचेंज में इसकी शेयरधारिता आदि कोई भी बात हो। क्षेत्र भर से छात्र, पत्रकार, एवं यहाँ तक कि सरकारी या सैन्य अधिकारी भी व्यावसायिक या प्रशिक्षण के अवसरों के लिए अब सक्रिय रूप से चीन की ओर देखते हैं। सहज रूप से, इस संलग्नता ने इन देशों की ओर से "भारत को प्राथमिकता प्रदान करने" की घोषणाओं के बावजूद इन देशों की घरेलू राजनीति और विदेश नीति को प्रभावित करने में बीजिंग की रणनीतिक प्रभावन क्षमता को भी बढ़ाया है।

जबकि इस नई वास्तविकता के प्रति समायोजित होते हुए, भारत कभी-कभी शालीनता (आशापूर्ण अकर्मण्यता, चीन की ओर से पहल के लिए प्रतीक्षारत रहते हुए) और अत्यधिक प्रतिक्रिया की चरम सीमाओं के बीच झूलता रहा है। इस तरह की अल्पकालिकता के परे, नई दिल्ली को पड़ोसी देशों की दीर्घकालिक प्रोत्साहन संरचनाओं को भारत के अनुकूल बनाने वाली पद्धतियों में निवेश करना ही चाहिए । इसके लिए ऐसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों (विकास भागीदारी प्रशासन और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के माध्यम से) की दिशा में अवसंरचना विकास के लिए अनुदान और ऋण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी जो पड़ोसी देशों में तकनीकी आत्मनिर्भरता और संस्थागत लचीलेपन को बढ़ाते हों। चीन को कनेक्टिविटी की अवसंरचना निर्मित करने के लिए अपने भौतिक संसाधन लगाने दें और, भारत भौतिक संसाधनों के स्थान पर नीतिगत (सॉफ्ट) कनेक्टिविटी और लोकतांत्रिक शासन में निवेश करने का तुलनात्मक लाभ उठाने के लिए प्रयास कर सकता है। दूसरा, भारत को ऐसी सार्वजनिक कूटनीति और आउटरीच पहलों के लिए संसाधन बढ़ाने चाहिए जो पड़ोसी देशों में राजनीतिक नेताओं, उद्यमियों, और विद्वानों की नई पीढ़ी को लक्षिम करते हों। शंघाई या न्यूयॉर्क के लिए लगातार प्रलोभित होते हुए, आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें नई दिल्ली या मुंबई में भी अधिक एक्सपोज़र और अवसर प्राप्त हों। तीसरा, भारत को अनुक्रमण और प्रमुख परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके विभिन्न प्रकार की नई त्रिपक्षीय कनेक्टिविटी और अवसंरचना पहलों को सुदृढ़ करना चाहिए। उदाहरण के लिए, श्रीलंका में 12 अपूर्ण परियोजनाओं की तुलना में अंतिम रूप दी जा चुकी एक भारत-जापान तृतीय-देश परियोजना बेहतर होगी। अंततः, भारत को अपनी पाकिस्तान और सार्क नीतियों के बीच पारस्परिक संबंधों को रद्द करना चाहिए। इसे बिम्सटेक और बीबीआईएन सहित क्षेत्रीय सहयोग पहलों के कई प्रकारों को बनाए रखना चाहिए, लेकिन साथ ही सार्क के प्रति पुन: प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए।

अन्योन्याश्रित चीन और भारत

अनंत
कृष्णन

भारत के पड़ोस और कनेक्टिविटी संबंधी पहलों, व्यापार नीति, एवं आवक निवेश के लिए निहितार्थों के साथ चीन आज भारत की चेतना में चिंताजनक रूप से हावी है। नई सरकार को कुछ प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।

1 सहायता वितरण में सुधार करें

पड़ोस में चीन की निरंतर जड़ जमाती आर्थिक उपस्थिति का विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करना एक अहम चुनौती बना हुआ है। यद्यपि भारत ने जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए नए सिरे से इच्छा व्यक्ति करके इस संबंध में आरम्भिक कदम उठा लिए हैं, लेकिन परियोजनाओं को समय पर सौंपने में आने वाली क्षमता संबंधी बाधाएं उल्लेखनीय बाधा हैं, वित्तपोषण संबंधी बाधाएं दूसरे स्थान पर हैं। परियोजनाओं पर सम्यक तत्परता के अभाव, अपेक्षित अनुमानों की तुलना में लागतें अत्यधिक हो जाने एवं मेजबान देशों पर ऋण भार थोप देने के कारण, अपनी ही समस्याओं से जूझ रहे चीन के मॉडल की नकल करने के प्रयास के स्थान पर, इन बाधाओं के भीतर रहते हुए कार्य करना नई दिल्ली के लिए लाभप्रद हो सकता है। इसके स्थान पर, भारत को कुशल, पारदर्शी और वित्तीय रूप से टिकाऊ विकल्प प्रदान करने की दिशा में काम करना चाहिए। एक शुरुआत के रूप में, विदेशी विकास परियोजनाओं के लिए नोडल निकाय के रूप में कल्पित किए गए विदेश मंत्रालय में विकासात्मक भागीदारी प्रशासन को सुदृढ़ करने की रणनीति, सकारात्मक परिणाम प्रदान करने की इस क्षेत्रक की क्षमता में सुधार करने में सहायक होगी।

2 व्यापार पर निर्भरता का आकलन करें

अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा, 2014 में $38 बिलियन था जो 2018 में बढ़कर $58 बिलियन हो गया है। विनिर्माण में प्रतिस्पर्धा की कमी, चीनी मशीनरी और उपकरणों पर निरंतर निर्भरता, और चीन में भारतीय कंपनियों के लिए विशेष रूप से औषधि और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रकों में बाजार उपलब्धता की समस्याओं इत्यादि ने निरंतर असंधारणीय होते जाते असंधारणीय व्यापार संबंध की परिस्थिति विकसित होने में योगदान किया है। व्यापार और निवेश नियमन, दोनों के प्रति विसरित दृष्टिकोण के कारण, चीन के साथ व्यवहार करने में सुसंगत नीति के अभाव में सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। एक शुरुआत के रूप में, अगली सरकार को, विशेष रूप से चीनी आयात पर लगभग पूर्ण निर्भरता वाली सक्रिय दवा सामग्रियों (APIs) जैसे संवेदनशील क्षेत्रकों में चीन पर क्षेत्रवार निर्भरता का विश्लेषण करते हुए, विभिन्न क्षेत्रकों के बीच व्यापक पारस्परिक अध्ययन सम्पन्न करने की आवश्यकता है। अगला कदम सक्रिय दवा सामग्रियों (APIs) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियां तैयार करना होगा।

3 निवेशों को प्रोत्साहित करें, लेकिन सोच समझकर

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि को उच्च बनाए रखना और विश्वसनीय और पारदर्शी नियामक व्यवस्था सुनिश्चित करना दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक चुनौतियाँ हैं। पिछले वर्ष के 60.22 बिलियन डॉलर की तुलना में वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 60.97 बिलियन पर स्थिर रहा। हालांकि कई क्षेत्रों में एफडीआई प्रतिबंधों में ढील दी गई है, लेकिन स्वचालित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मार्ग के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, और अन्य निवेशों के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और व्यक्तिगत मंत्रालयों के माध्यम से अनुमोदन का उत्तरदायित्व वहन करने में साझेदारी किए जाने के कारण, विनियमन अभी भी चुनौती बने हुए हैं। यह अनुमोदनों को सुचारू बनाने के उद्देश्य से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त करने का कार्य इसके अनुसार किया गया है। भारतीय स्टार्ट-अप कम्पनियों के विदेशी अधिग्रहण सहित भारत के सेवा क्षेत्र की ओर एफडीआई की बढ़ते साझेदारी के साथ, विशेष रूप से नयी विसरित अनुमोदन प्रक्रिया के कारण विनियमन एक चुनौती बने हुए हैं। इस समस्या का समाधान करने की दिशा में पहला कदम निष्पक्ष और विश्वसनीय नियामक व्यवस्था का निर्माण करना होगा उदाहरण स्वरूप जो संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी निवेश समिति के अनुरूप हो। विश्वसनीय एवं पूर्वानुमेय नियामक तंत्र न केवल अनुमोदनों को और अधिक पारदर्शी बनाएगा अपितु उभरते हुए संवेदनशील उद्योगों में निवेश को बेहतर रूप से विनियमित करेगा।

हरित भारत

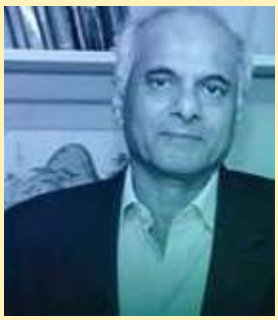

विक्रम सिंह मेहता

भारत ऊर्जा और पर्यावरण से संबंधित कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। यहां ऐसी कई पहलों पर विचार किया गया है जिन पर नई सरकार अपने कार्यकाल के आरम्भ में विचार-मंथन कर सकती है।

1 ऊर्जा और पर्यावरण नीति को एकीकृत करें

वर्तमान में ऊर्जा और पर्यावरण के साथ जुड़े हुए विभिन्न मंत्रालयों को एक सर्वसमावेशी ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालय में समाविष्ट कर दिया जाना चाहिए। इससे ऊर्जा नीति के प्रति वर्तमान विखंडित दृष्टिकोण समाप्त होगा और नई सरकार इस क्षेत्रक को समेकित और समग्र दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होगी। इससे किसी भी एक या अधिक घटक चर में परिवर्तनों के व्यवस्थापरक निहितार्थों का पता लगाना और उनका मूल्यांकन करना आसान होगा। दूसरी बात यह है कि यथासंभव शीघ्र अवसर पर "ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम" पारित किया जाना चाहिए। इस अधिनियम का उद्देश्य ऊर्जा और पर्यावरण को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लाना होना चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य रखते हुए आर्थिक विकास एवं ऊर्जा मांग संबंधी उभरती चुनौतियों के प्रबंधन और शमन के लिए एक कार्ययोजना बनाई जा सके, और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्रणाली की ओर बढ़ने की दिशा में तीव्र गति से प्रगति करने के लिए नीतिगत और विनियामक परिवर्तनों के लिए जनसमर्थन जुटाया जा सके। अंत में, ऊर्जा संबंधी डेटा विभिन्न सरकारी विभागों में तितर-बितर है। इससे नीति और निवेश में बाधा पड़ती है। नई सरकार को एक एकीकृत ऊर्जा डाटा केंद्र स्थापित करना चाहिए, जिसके डेटा का नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए एवं वाणिज्यिक शर्तों पर सभी कर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

2 विकार्बनीकरण (डिकार्बोनाइज) करें

विकार्बनीकरण (डिकार्बोनाइजेशन), मांग प्रबंधन, और दक्षता नई सरकार की ऊर्जा नीति ध्यान देने योग्य मुख्य बिन्दु होने चाहिए। इस संदर्भ में, सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान करने, कृषि में डीजल की खपत में कटौती करने, उत्सर्जन संबंधी मानकों और मानदंडों को लागू करने, इमारतों और कारखानों को कार्बन उदासीन बनाने और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में व्यवहारगत परिवर्तन को प्रभावित करने पर ध्यान केन्द्रित होना चाहिए। इन दिशानिर्देशों पर बहु-आयामी जोर आर्थिक विकास, ऊर्जा की मांग और पर्यावरण के बीच वर्तमान अस्वस्थ संबंध को कमजोर करेगा।

इसके अतिरिक्त, "स्वच्छ ऊर्जा कोष" को वर्तमान में कोयला उत्पादन पर उपकर के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा भी प्रबंधित किया जाता है। इस वित्त को "हरित बंधपत्र (ग्रीन बांड)" जारी करके और संभवत: स्वच्छ ऊर्जा कर के माध्यम से संवर्द्धित किया जाना चाहिए ताकि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (जैसे बैटरी भंडारण, कार्बन कैप्चर और स्वयोजन, हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण, मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों, आदि) पर अनुसंधान और विकास को तेज किया जा सके और स्वच्छ ऊर्जा के प्रवाह को अवशोषित करने के लिए आवश्यक पारेषण और वितरण अवसंरचना को वित्तपोषित किया जा सके और इसके प्रशासन को डोमेन विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। इसका कारण निधियों को संचित निधि में अधिग्रहित होने से बचाना, नवाचार के लिए परिस्थितियाँ उत्पन्न करना एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी साझेदारियां विकसित करना है.

3 संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करें

तेल नीति के सूत्र संचालन तंत्र वर्तमान में आज निरंकुश नेताओं के नियंत्रण में हैं। तेल राजनीति का यह "वैयक्तिकरण" अतीत में कोई समस्या नहीं होता था जब तेल का व्यापार ज्यादातर दीर्घकालिक आपूर्ति की संविदाओं के आधार पर किया जाता था। लेकिन वर्तमान में अल्पकालिक लचीले सौदों की विशेषता वाले एकीकृत, तरल, और प्रतिमोच्य बाजार के परिप्रेक्ष्य में, भारत जैसे आयात-निर्भर देशों के लिए यह प्रासंगिक है। नेताओं की स्थानीय कार्रवाईयों के अब वैश्विक, आपूर्ति से संबंधित असर होते हैं। इसलिए नई सरकार को "ऊर्जा राजनयिकों" के विशिष्ट संवर्ग का विकास करने पर ध्यान देना चाहिए। इसे सरकार के मध्य और वरिष्ठ स्तर पर प्रासंगिक डोमेन और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता वाले पार्श्व- प्रवेशकों पर मनन करना चाहिए। इसे ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्रक की इकाइयों को हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति वाले अधिकारीवर्ग के निरीक्षण से मुक्त करना चाहिए ताकि उनका प्रबंधन बाजार संबंधी अप्रत्याशित परिस्थितियों से दक्षतापूर्वक अनुक्रिया कर सके। और इसे तेल निर्यातक राज्यों के नेताओं के साथ मजबूत व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने चाहिए। कमी होने के समय पर ऐसे नेता ऐसे सुदृढ़ अवलम्ब सिद्ध होते हैं जिन पर भारत की आपूर्ति सुरक्षा अवलम्बित बनी रहती है।

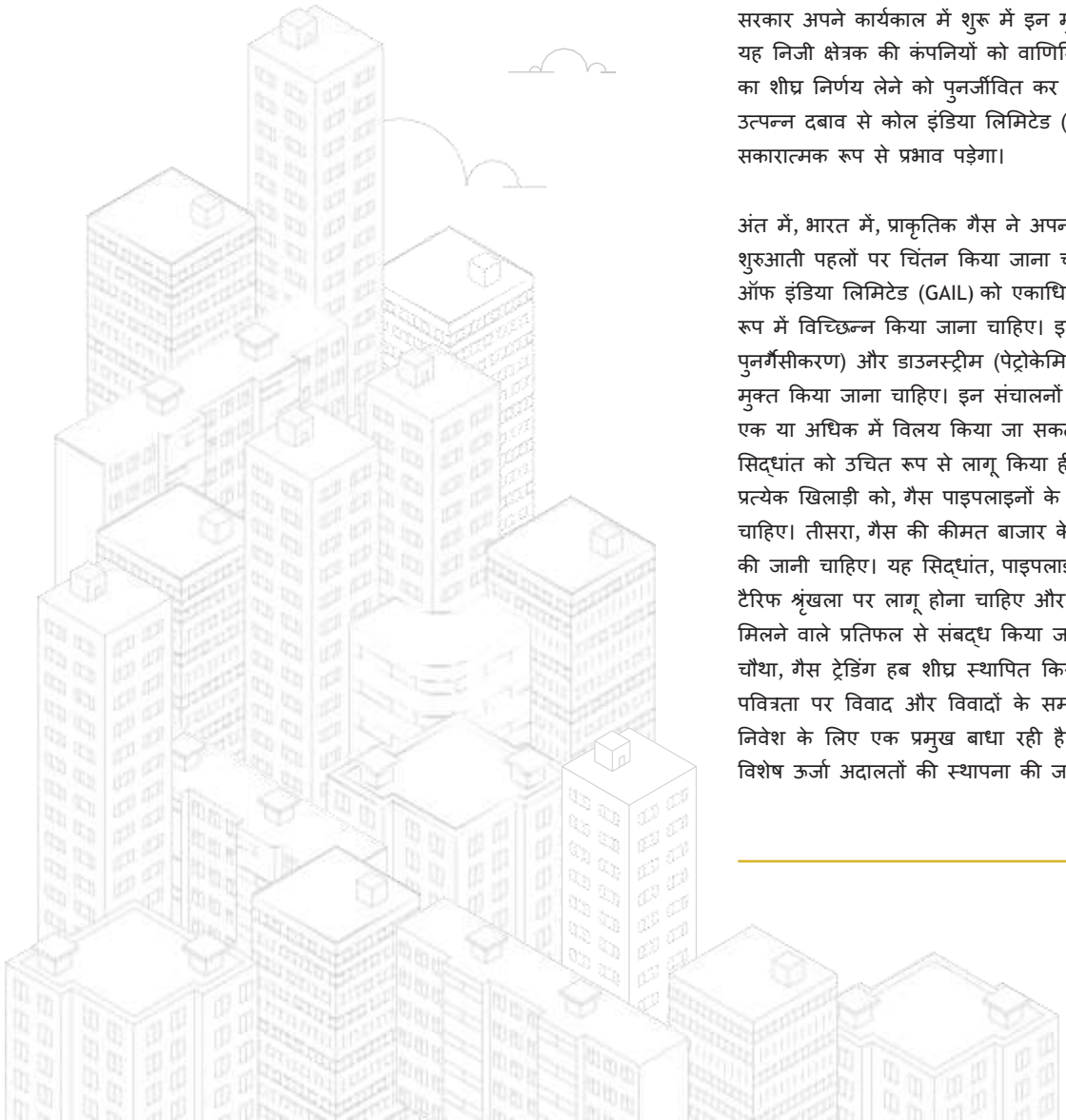

अपने गृह क्षेत्र के निकट, भारत की भौगोलिक संरचना के कारण तेल और गैस अन्वेषण में निजी क्षेत्रक के निवेश लिए बोली लगाए जाने के विभिन्न दौरे सफल नहीं हुए हैं। नई सरकार को इस प्रयास को बंद नहीं करना चाहिए लेकिन वर्तमान अनुबंध शर्तों में इसे तीन परिवर्तनों पर विचार करना चाहिए। पहला, इसे नई खोज के लिए वर्तमान राजस्व साझेदारी मॉडल को उत्पादन साझेदारी मॉडल से प्रतिस्थापित करना चाहिए। दूसरा, मुख्य क्षेत्रों से दूर स्थिति और छोटे क्षेत्रों में निवेश को घरेलू खुदरा बाजार की उपलब्धता से संबद्ध करना चाहिए और यह शर्त हटानी चाहिए कि केवल ऐसी कंपनियाँ ही विपणन लाइसेंस के लिए पात्र होंगी जिन्होंने 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तीसरा इसे मुंबई हाई और तेल और गैस उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के लिए सिद्ध संवर्धित तेल प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी से सम्पन्न अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को निविदाएं जारी करने पर विचार करना चाहिए। इन क्षेत्रों से उत्पादन की वर्तमान प्राप्ति दरें वैश्विक औसत से काफी नीचे हैं। यदि हमारी दरें वैश्विक मानकों के बराबर बढ़ाई जा सकें तो विशाल परिमाण में मूल्य वृद्धि होगी।

कोयला एक अन्य प्रमुख संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है। कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) कोयले का एक प्रमुख उत्पादक है लेकिन विपुल परिमाण की परम्परागत (श्रमिक संघों, माफिया, राजनीति, और संगठन संबंधी) समस्याओं का सामना करता है जो देश के स्वदेशी कोयला भंडार को पूरी तरह से और कुशलता से उपयोग करने की इसकी क्षमता को बाधित करता है। सर्वप्रथम भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की रूपरेखा को नए सिरे से निर्मित किए बिना, इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि नई सरकार अपने कार्यकाल में शुरू में इन मुद्दों से निपट नहीं सकती। हालांकि, यह निजी क्षेत्रक की कंपनियों को वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति देने का शीघ्र निर्णय लेने को पुनर्जीवित कर सकती है। प्रतियोगिता के फलस्वरूप उत्पन्न दबाव से कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के कार्यनिष्पादन पर सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा।

अंत में, भारत में, प्राकृतिक गैस ने अपनी पूरी क्षमता प्राप्त नहीं की है। चार शुरुआती पहलों पर चिंतन किया जाना चाहिए। सबसे पहले, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) को एकाधिकार प्राप्त गैस पाइपलाइन कंपनी के रूप में विच्छिन्न किया जाना चाहिए। इसे इसकी अपस्ट्रीम (उत्पादन और पुनर्गैसीकरण) और डाउनस्ट्रीम (पेट्रोकेमिकल्स) संचालन की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना चाहिए। इन संचालनों को मौजूदा सार्वजनिक उपक्रमों में से एक या अधिक में विलय किया जा सकता है। दूसरा, "सामान्य पहुंच" सिद्धांत को उचित रूप से लागू किया ही जाना चाहिए। निजी या सार्वजनिक प्रत्येक खिलाड़ी को, गैस पाइपलाइनों के लिए समान रूप से ही पहुंच होनी ही चाहिए। तीसरा, गैस की कीमत बाजार के सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। यह सिद्धांत, पाइपलाइन टैरिफ को छोड़कर संपूर्ण गैस टैरिफ श्रृंखला पर लागू होना चाहिए और पाइपलाइन टैरिफ को पूंजी पर मिलने वाले प्रतिफल से संबद्ध किया जाना चाहिए।
चौथा, गैस ट्रेडिंग हब शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए। अंत में, अनुबंध की पवित्रता पर विवाद और विवादों के समाधान में देरी भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए एक प्रमुख बाधा रही है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए विशेष ऊर्जा अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए।

संधारणीय भारत

राहुल
टोंगिया

पाँच वर्षों में चीजें कैसे बदल जाती हैं। हमने कई सकारात्मक कदम उठाए जाते देखे हैं, कुछ प्रयास से संबंधित हैं और कुछ व्यापक वैश्विक प्रवृत्तियों का भाग हैं। भारत के लगभग सभी घरों में आज बिजली का कनेक्शन है, और सौर ऊर्जा की कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि जहां समाचार पत्र "ग्रिड समानता" की बात करते हैं। कार्बन वैश्विक चिंता का विषय है, और भारत ने पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में कार्बन कटौती का वादा किया जिसे इसके द्वारा पूरा किए जाने की संभावना है।

आगे बढ़ते हुए, सरकारी नीतियों में संधारणीयता के तीनों पहलुओं: अर्थशास्त्र, पर्यावरण और इक्विटी पर अनिवार्य रूप से ध्यान दिया ही जाना चाहिए। संधारणीयता केवल "पर्यावरण अनुकूल" या सुविधा संपन्न निर्माण के बारे में नहीं है, यहां तक कि सामान्य व्यक्ति भी बेहतर और सस्ती ऊर्जा उपलब्धता चाहते हैं, और प्रदूषण उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करता है। हालांकि सभी देश संधारणीयता संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन अपने प्रारंभिक बिंदु: विशाल आधार, बढ़ती मांग, लेकिन फिर भी आधुनिक ऊर्जा का मामूली उपयोग को देखते हुए भारत की स्थिति भिन्न है। उज्ज्वला जैसी योजनाओं के माध्यम से बड़ी छलांग लगाने के बावजूद, कई ग्रामीण घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए बायोमास का उपयोग किया जाता है, और प्रति व्यक्ति बिजली की खपत अभी भी वैश्विक औसत की एक तिहाई ही है। जबकि हमेशा की तरह व्यापार में सुधार होता रहेगा, लेकिन सस्ते, तेज और बेहतर जैसे प्राय: परस्पर विरोधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा।

यदि वर्षों तक आवश्यकता से कम आपूर्ति और बिजली की कमी अतीत की बात हो गई है, तो विद्युत सुविधाओं द्वारा सभी को 24x7 बिजली क्यों प्रदान नहीं की जा रही है? निःसंदेह रूप से स्पष्ट चुनौतियों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि वितरण कंपनी (डिस्कॉम) के घाटे में कमी, जैसे कि चोरी, और वाहनों के लिए बेहतर उत्सर्जन मानकों को अपनाए जाने की ओर अग्रसर होना। लेकिन कुछ चुनौतियों को नई दिशा और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है - हमें अब केवल बीते हुए कल की समस्याओं पर ही नहीं बल्कि आने वाले कल की समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

1 विद्युत आपूर्ति में सुधार करें

यद्यपि कोई भी व्यक्ति 24x7 बिजली की आपूर्ति के विरुद्ध नहीं है लेकिन यह व्यावहारिक रूप से कैसे संभव हो सकता है, और इसे किस प्रकार सत्यापित किया जा सकता है? सुविधा प्रदाताओं और विनियामकों को पर्याप्त विद्युत खरीदने का कठोर निर्णय अवश्य लेना चाहिए अन्यथा ऐसी स्थिति में जो लोग लोड शेड अधिक करते हैं (निर्धन और ग्रामीण उपयोगकर्ता) वे शहरी निवासियों की तुलना में खराब दशा में आ जाएंगे, प्रभावी रूप से यह एक प्रतिकूल विपरीत क्रॉस-सब्सिडी की स्थिति होगी। इसके अलावा, आपूर्ति को सत्यापित करने के लिए वास्तविक समय फीडर की निगरानी के साथ शुरू करते हुए अवसंरचना का डिजिटलीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रति मीटर स्मार्ट मीटर की आवश्यकता नहीं है, जो सहायक तो हो सकते हैं लेकिन इस प्रकिया में समय लगेगा। बेहतर योजना निर्माण और प्रणाली में लचीलेपन का समावेश करके, पूर्व-निर्धारित लोड-शेडिंग को समाप्त करना एक तात्कालिक कदम होगा जो अनिर्धारित लोड-शेडिंग समाप्त करने का पूर्व सूचक देगा।

चुनौती का एक घटक यह है कि यह अब उत्पादन की समस्या नहीं रही है। इसके स्थान पर आवश्यकता इस बात की है कि सही समय पर सही मूल्य पर सही मात्रा में विद्युत उत्पादन प्रोत्साहित किया जाए। वर्तमान स्थितियों में भारत में न केवल विद्युत की अधिकता है अपितु विशेष रूप से वैकल्पिक ऊर्जा साधनों की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा की लागतें भी बहुत कम हैं। हालांकि जैसा आजकल का उपयोग पैटर्न में दर्शा रहा है, वर्तमान परिस्थितियों में नवीकरणीय ऊर्जा विभिन्न प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जाओं का सहज उपलब्ध संयोजन है, और कुछ ही वर्षों में हमें नवीकरणीय ऊर्जा की इतनी अधिक मात्रा को संभालने के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता की

आवश्यकता होगी। ज्यादातर मांग सायंकालीन सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा उपयोग अवधि (शीर्ष समय अवधि) में रहती है। इस प्रकार, दिन की विशेष समयावधि के आधार पर मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया आवश्यक है ताकि न केवल यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपूर्ति मांग से मेल खाए अपितु यह भी सुनिश्चित किया जा सके की मांग भी उपलब्ध आपूर्ति से मेल खाए। खुदरा आपूर्ति के बारे में चिंताओं को दूर करने से पहले, दिन की विशेष समयावधि के आधार पर मूल्य निर्धारण थोक खरीद के साथ शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि खुदरा आपूर्ति के मामले में विद्युत का मापन करने की प्रणाली को व्यापक स्तर पर उन्नत करने की आवश्यकता होगी। लंबी संचालन अवधि में उच्च स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के लिए प्रचालन के लिए परिचालनगत लचीलेपन की आवश्यकता होगी जिसका अर्थ है कि, इसे वर्तमान के यदि कठोर न कहें तो स्थिर विद्युत खरीद अनुबंधों के स्थान पर, बेहतर व्यापार बाजार तंत्र की आवश्यकता होगी।

2 दक्षता बढ़ाएँ

आपूर्ति सस्ती होना इतना उपयोगी नहीं है जितनी मांग में कम होना, भले ही यह आपूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से की जा रही हो, क्योंकि मांग में कमी होने से अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएं भी कम हो जाती हैं और इससे बचत होती है, यही कारण है कि ऊर्जा-दक्षता अहम होती है। यद्यपि उपकरणों के लिए स्टार रेटिंग चलन में है, लेकिन इमारतों के लिए स्टार रेटिंग की व्यवस्था की दृष्टि से स्पष्ट पिछड़ापन व्याप्त है, और यह अंतराल केवल मानदंडों के मामले में नहीं है बल्कि इन्हें लागू करने के मामले में भी व्याप्त है। आपूर्ति की समस्या इसका एक घटक है। हालांकि एलईडी बल्बों को व्यापक रूप से अपनाया गया है, लेकिन कई ऊर्जा कुशल उपकरणों को केवल विलासिता और संभ्रान्त वर्ग के उत्पादों के रूप में बेचा जाता है। प्रतिस्पर्धी और सस्ते विकल्पों का अभाव होने के कारण भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बढ़-चढ़कर की जाने वाली मांग कम है: यह केवल चार्जिंग अवसंरचना की कमी की बात नहीं है। वास्तव में, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता संभावित रूप से परिवहन बेड़े और सार्वजनिक परिपवन हैं जो चार्जिंग संबंधी अपनी आवश्यकताओं को सामान्य घरेलू चार्जिंग से पूरा कर सकते हैं लेकिन उचित प्रयास किए बिना इसका उपयोग कोयले का और अधिक उपयोग करने के समान होगा।

3 बेहतर विनियमन के माध्यम से विकृतियों को समाप्त करें

भारत को विनियमनों को बेहतर करने और हितधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करने हेतु अगले कुछ वर्षों का उपयोग करना ही चाहिए। पारंपरिक विद्युत ज्यादातर विनियमित और अधिक लागत वाली थी जिसमें ईंधन बाजारों में व्याप्त विकृतियों के साथ कई विकृतियाँ थीं। अब यह विकृतियों को समाप्त करने और अधिकाधिक बाजार उन्मुख प्रतिस्पर्धा संभव करने का समय है। भविष्य में एक छोर से अधिकाधिक डिजिटल रूप से सक्षम व्यवधान उत्पन्न होगा: यहाँ "उबेराइजेशन" आदि की ओर संकेत किया जा रहा है। इससे संघर्ष करने के स्थान पर, भारत को अधिकाधिक वितरित उत्पादकों एवं भण्डारण, एवं अंतिम उपयोगकर्ताओं और तीसरे पक्ष द्वारा मांग में स्थानांतरण किए जाने को अपनाना चाहिए। कई उपयोगकर्ता निश्चय ही सब्सिडी के रूप में सहयोग-समर्थन के प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन इसे केवल जीवन रेखा उपयोग के लिए ही विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए, और प्रौद्योगिकी इसे लागू करने में मदद कर सकती है। यदि सस्ती कीमतों के रूप में सहयोग-समर्थन जारी रहता है, तो उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इसके स्थान पर शायद प्रत्यक्ष लाभ अंतरणों के माध्यम से उन्हें अलग से सब्सिडी दी जा सकती है।

दुर्भाग्यवश, हम अपनी समस्याओं के लिए स्वयं ही नवाचार नहीं कर सकते -- सौर या स्मार्ट मीटर मदद कर सकते हैं लेकिन वे प्रणाली स्तरीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों की समस्याओं को हल करने के लिए सभी सौर पंपसेटों का उपयोग किए जाने पर हमें इस बात का पता ही नहीं चल पाएगा कि विद्युत आपूर्ति समाप्त होने से पहले हमारी जल आपूर्ति कब समाप्त हो जाएगी?

4 आगे का मार्ग

विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधनों के साथ ही साथ परिचालनात्मक सुधार किए जाने चाहिए। प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि करना और नए खिलाड़ियों को प्रवेश देना सहज और स्पष्ट समाधान हो सकते हैं। खासकर बाजार, प्रतिस्पर्धा, तारों और खुदरा आपूर्ति के संरचनात्मक पृथक्करण से संबंधित, अधिकाधिक स्पष्टता या विकल्पों की मांग करने वाली समस्याओं को ठीक करने या सूक्ष्म परिवर्तन करके अनुकूलित करने का अवसर भी विद्यमान है। जटिलताओं और व्यापार की संभावनाओं को देखते हुए, इन प्रक्रियाओं से न केवल हितधारकों प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और उपभोक्ताओं अपितु विशेष रूप से राज्यों और शहरों का आकर्षित होना भी आवश्यक है। हमें अपनी विषमता को भी गले लगाने और उससे लाभ उठाने की जरूरत है- एक ही कार्यप्रणाली सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती है। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए भावी संभावनाओं का ध्यान रखकर निर्मित की गई सुविधाओं को समर्थन दिया जाना चाहिए भले ही उसके लिए तुलनात्मक रूप से अधिक जोखिम उठाना पड़े।

यदि क्रमिक रूप से विकास करने की कार्यप्रणाली पर्याप्त नहीं हो तो हमें क्रांतिकारी रूप से आमूलचूल परिवर्तन पर भी विचार करना चाहिए। हमें उचित प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किए जाने योग्य औसत दर्जे के स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करने की आवश्यकता है। यदि कोई जनोपयोगी सेवा वास्तव में विफल हो रही हो तो, तो इसे इसका परिणाम भुगतना चाहिए और इसके विभिन्न प्रकार के संचालनों पर बाह्य निरीक्षण होना चाहिए। आखिरकार, व्यवस्थाएं विफल होने पर पश्चिमी देशों में तो पूरे के पूरे शहर रिसीवरशिप के अधीन आ जाते हैं।

ऊर्जा सक्रमणों में समय लगता है, भले ही सरकारें पांच वर्षों के संदर्भ में विचार-मंथन पसंद करती हैं। भारत को दीर्घावधिक योजना तैयार करनी है। अच्छी खबर यह है कि भारत डिजिटलकरण और विकेन्द्रीकरण, और विकार्बनीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए आलोचकों को अचंभित करने की संभावना रखता है। पश्चिमी देशों में स्मार्ट ग्रिड और उपभोक्ता की संलग्नता को यदि संदेह की दृष्टि से न देखा जाता हो तो उपेक्षा की दृष्टि से तो प्राय: देखा ही जाता भारत में ऐसे कम ही लोग हैं जो बिजली का महत्व नहीं समझते हों। यदि लोगों का जीवन बेहतर होता हो नागरिकों में परिवर्तन स्वीकार करने की संभावना होती है हमें केवल ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो सकारात्मक परिवर्तन को पोषित कर सकें और उसे तीव्र कर सकें।

ऊर्जा सम्पन्न भारत

स्वाति
डिसूजा

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हर नागरिक को सस्ती और सुलभ ऊर्जा उपलब्ध कराना भारत की ऊर्जा नीति की आधारशिला रहा है। वर्षों से, इस नीति ने राष्ट्रीयकृत भारतीय ऊर्जा क्षेत्र (अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम) के बीच विरोधाभास और 'अधिक मुक्त' अर्थव्यवस्था; केंद्र-राज्य संबंधों; विकसित होते मध्यम वर्ग और ऊर्जा और आर्थिक गरीबी समाप्त करने जैसे अनेक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कारकों से आकार प्राप्त किया है। हाल के वर्षों में, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक विकास ने भी भूमिका निभाई है।

भारत की तुलना में, अधिकांश बड़े राष्ट्रों को अपने विकास पथ में बहुत देर से जलवायु शमन के दबाव का सामना करना पड़ा, इसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता में होने वाले विकास के लिए ऐसा कोई सिद्ध मार्ग नहीं है जिसका भारत अनुपालन कर सके। ऐसी स्थिति में भारत अपने ऊर्जा क्षेत्रक को न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर प्रकार दिशा-निर्देशित किस कर सकता है?

1 नियंत्रण हटाने (विनियमन) के दौरान स्पष्ट योजनाएं बनाएं

जबसे भारत ने केंद्रीय योजना मॉडल को अस्वीकार कर दिया, ऊर्जा से संबंधित मंत्रालयों ने कई विरोधाभासी या प्रतिस्पर्धी लक्ष्यों और नीतियों को प्रस्तुत किया है। इन नीतियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाकर 2030 तक नए स्टॉक के 100% तक करना; रिफाइनरी क्षमता को 2030 तक 400 मिलियन टन करना; कोयला उत्पादन को बढ़ाकर 2020 तक एक बिलियन टन करना; और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को लगभग प्रतिवर्ष परिवर्तित करना शामिल है। निर्णय लेने और समन्वय पर स्पष्टता की कमी से नीतियाँ अक्सर पुराने ढर्रे पर आ जाती हैं (जैसा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रकरण में हुआ) या लक्ष्य समय सीमाओं में बदलाव हो जाता है (जैसा छत पर की जाने वाली सौर स्थापना के मामले में हुआ)। केंद्र सरकार को बहुआयामी उद्देश्य ढांचे के अंतर्गत निरंतर, स्पष्ट और संक्षिप्त नीतियों एवं कानून के रूप में बाजार को संकेत प्रदान करने की जरूरत है। इसके लिए, अधिमानतः ऊर्जा-अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को ध्यान में रखने वाले एक निकाय द्वारा योजना बनाए जाने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, पर्यावरण के नियमों को मजबूत करने की आवश्यकता है। भूजल की खपत और अवक्षय के वर्तमान स्तरों पर, भारत 2030 तक जल की कमी वाला देश बनने की संभावना है। इसी तरह, विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में से सात भारत में हैं। भारत को स्वच्छ वायु के अधिकार एवं स्वच्छ जल अधिकार अधिनियम या पर्यावरण के मुद्दों पर ऐसी नई नीति की आवश्यकता है जो उनकी महत्वपूर्ण प्रकृति पर प्रकाश डाले और उनके साथ राष्ट्रीय आपात स्थितियों के रूप में व्यवहार करे।

साथ ही साथ, केंद्र सरकार को नीति बनाकर, कानून तैयार करते और मध्यस्थता करते हुए निर्णय निर्माता की भूमिका निभानी है - लेकिन ऊर्जा उत्पादन और वितरण गतिविधियों से दूर रहना है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के मंत्रालय नीतियों का निर्धारण करने, उनका प्रशासन करने, विवादों का न्यायनिर्णयन करने, और कोयला, तेल और गैस तथा विद्युत क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करके या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नीतियों को लागू करने में संलग्न हैं। लेकिन, ऊर्जा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के विकास के बावजूद निरंतर सरकारी हस्तक्षेप से बाजार विकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं, किराए पर दिए जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है और इसने पक्षपात और अक्षमता को प्रोत्साहित किया है।

2 स्वतंत्र नियामकों को मजबूत करें

क्योंकि एक ही संस्था कानून बनाती है, उन्हें प्रशासित करती है और साथ ही विवादों का न्यायनिर्णयन करती है, इसलिए कुछ क्षेत्रों (कोयला, रेलवे और पर्यावरण) में नियामकों की कमी होती है जबकि अन्य क्षेत्रों (तेल और गैस) को पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं बनाया गया है। यहां तक कि विद्युत क्षेत्र जैसे मामलों में, जहां नियामक आयोगों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनकी दक्षता और उनके कार्य प्रदर्शन के विगत इतिहास बहुत मजबूत नहीं हैं। कोयले, पर्यावरण या रेलवे पर, इस प्रक्रिया को संबंधित मंत्रालयों या राष्ट्रीयकृत निगमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और अर्ध न्यायिक साधन के लिए कोई फोरम नहीं है। तेल और गैस क्षेत्र में, ऊपर की गतिविधियों की देखरेख करने वाले हाइड्रोकार्बन निदेशालय (DGH) को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसमें ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की जाती है जो राष्ट्रीय तेल कंपनियों (NOCs) से की जाने वाली प्रतिनियुक्तियों के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। 2011 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर ध्यान दिया कि विनियामक कार्य, अधिकारी वर्ग के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। ये कारक संपूर्ण क्षेत्रक के प्रशासन को प्रभावित करते हैं और प्रतिस्पर्धा के निवारक के रूप में कार्य करते हैं। भारत में कोयला और पर्यावरण जैसे मुद्दों के लिए या तो संपूर्ण क्षेत्रक के लिए एक स्वतंत्र ऊर्जा क्षेत्रक विनियामक या कई विनियामकों की आवश्यकता है। इसके अलावा, इन विनियामकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए (और मौजूदा विनियामकों को सशक्त करने के लिए), यह आवश्यक है कि वे मंत्रालयों और अधिकारी वर्ग से न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अपने वित्तपोषण, संगठन, और सेवा नियोजन की प्रक्रिया पर नियंत्रण बनाए रखें।

3 राज्य सरकारों को सशक्त करें

ऊर्जा क्षेत्रक में, भारत सहकारी संघवाद मॉडल से दूर होता रहा है इसने केंद्र सरकार में अधिक शक्तियों को निहित किया है। इस कदम के परिणामस्वरूप ऐसी नीतियां अस्तित्व में आई हैं जो सभी के लिए एक ही मूल्यांकन प्रणाली उपयोग करने या नीति निर्माण की ऊपरी स्तर से निचले स्तरों पर लागू की जाने वाली नीतियाँ निर्माण करने की पद्धति के सिद्धांत को समाविष्ट करती हैं। यह दृष्टिकोण हानिकारक रहा है क्योंकि भूमि, जल और पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों की ओर से अंत:क्रय की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त, इसने राज्य सरकार के निकायों (मंत्रालय और स्वतंत्र निकायों) में कार्ययोजना को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने की क्षमता और प्रतिभा को भी प्रभावित किया है। देश के राज्यों के बीच आय और सामाजिक-आर्थिक असमानता को देखते हुए, राज्यों को वित्तीय परिव्ययों से परे सशक्त बनाना जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक गैस क्षेत्रक में, राज्य सरकारें अवसंरचना संबंधी योजना निर्माण प्रक्रिया में रुचि रखने की पक्षधर नहीं हैं और उनकी प्राथमिकताएं भिन्न हैं। इससे पाइपलाइन बिछाना या सीएनजी स्टेशन का निर्माण करने के लिए भूमि अधिग्रहण करना और अधिक कठिन हो जाता है। इसी तरह, राज्य सरकारों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) से केवल पर्याप्त ढांचा, प्रोत्साहन और दिशा निर्देश प्राप्त करके वायु प्रदूषण से निपटने की जरूरत है। उदय (UDAY) योजना के लिए निर्मित किया गया ढांचा एक ऐसे मामले का अध्ययन सिद्ध होता है जिसे अपनाया जाना व्यवहार्य है, केंद्र सरकार की ओर से उचित दिशा-निर्देश एवं प्रोत्साहन प्राप्त करके राज्य सरकारों से कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, भले ही विधायी ढांचे का निर्माण विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया।

उत्पादक भारत

मोहम्मद
साहिल अली

ऊर्जा क्षेत्रक में भारत का सामान्य नीतिगत रुझान पर्याप्तता के लक्ष्य के साथ अवसंरचना अभिवृद्धि रहा है। स्वतंत्रता के बाद, विशेषकर विद्युत क्षेत्रक में इसने जैसे घाटे का सामना किए उसके आधार पर यह नीतिगत रुझान अर्थ रखता था। ऊर्जा की विश्वसनीय और सुनिश्चित आपूर्ति मजबूत औद्योगिक और विनिर्माण विकास के लिए भी एक पूर्वावश्यकता है। लेकिन अब, भारत में समग्र विद्युत अधिशेष, और यदा-कदा होने वाली हलचल को छोड़कर, औद्योगिक क्षेत्रक के लिए समग्र रूप से ईंधन सुरक्षा की स्थिति में पहुंच गया है। ऊर्जा क्षेत्रक में उभरती चुनौतियां आबंटन, दक्षता एवं विभिन्न लक्ष्यों में से लक्ष्य चुनने और उनसे उत्पन्न होने वाले ध्यान देने योग्य दबावों के विषय में हैं। इसके लिए ऊर्जा नीति के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण के पुनरुद्धार की आवश्यकता है, जिसने अपने प्रारंभिक समय में इस प्रणाली को आपूर्ति संबंधी बाधाओं से ग्रसित देखा है।

1 ऊर्जा उत्पादकता और मूल्यांकन में सुधार करें

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय ऊर्जा परिदृश्य के मांग पक्ष पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। इसके स्थान पर, ऊर्जा का राजनीतिक एजेंडा दो व्यापक मापो: वहनीयता और आपूर्ति अवसंरचना अभिवृद्धि तक सीमित रहा है। भारत अपनी अधिकांश ग्रामीण आबादी को खाना पकाने के आधुनिक ईंधनों का उपयोग करने की ओर अग्रसर करने, एवं ऊर्जा और आय की दृष्टि से कम संपन्न लोगों के लिए सस्ती और सार्थक परिमाण में विद्युत उपलब्ध कराने की विशाल चुनौती का अभी भी सामना कर रहा है। वाणिज्यिक ऊर्जा की दिशा में अग्रसर होने से उत्पन्न बदलाव भारत की ऊर्जा उपलब्धता और कार्बन उत्सर्जन प्रोफ़ाइल में इस प्रकार वृद्धि करेगा कि उससे भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो की ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता में 2030 तक 10% से अधिक की वृद्धि होगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा पर महत्वाकांक्षी घरेलू लक्ष्यों के विरुद्ध नहीं है।

इसका अर्थ है कि उत्सर्जन में कटौती (भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान से भी अधिक) प्राप्त करने की बड़ी जिम्मेदारी ऊर्जा उत्पादकता अर्थात् समय के साथ उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की प्रति इकाई के लिए सकल घरेलू उत्पाद में संवर्द्धन करने में निहित है। अगली सरकार को दक्षता और सेवा वितरण की दिशा में ध्यान केन्द्रित करने का बड़ा अवसर मिला है। इस कार्य में सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा सेवाओं के कुशल प्रावधान की दिशा में जनमानस बदलने का कार्य भी शामिल होगा। इस प्रक्रिया का एक अच्छा उदाहरण 'एलपीजी सब्सिडी का त्याग करने' का अभियान था जिसने राष्ट्रीय विकास में कर्तव्यनिष्ठ हितधारक बनने में समाज के संपन्न वर्ग की भूमिका पर जोर दिया।

तथापि वर्तमान में ऊर्जा दक्षता मूल्यांकन में कई अंतराल विद्यमान हैं। तकनीकी क्षतियों के कारण ऊर्जा की बचाई गई एक इकाई, एक इकाई के उत्पादन की तुलना में हमेशा अधिक मूल्यवान होगी। उद्योगों और वाणिज्यिक उद्यमों में जहां ऊर्जा की कीमतें निचली रेखाओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त उच्च हैं, वहाँ ऊर्जा दक्षता निवेश स्वायत्त हैं और अपेक्षाकृत छोटी पेबैक अवधि में प्रतिफल प्रदान करते हैं। घरों के लिए, अप्रतिनिधिक मूल्य निर्धारण संरचनाओं के साथ उपकरणों की आरम्भिक लागतों की उच्च संवेदनशीलता के संयोजन

(विशेष रूप से घनी खपत वाले शहरी 'मध्यम वर्ग' के लिए) के परिणामस्वरूप ऊर्जा दक्षता अपनाने में केवल क्रमिक वृद्धि ही हुई है। कृषि में भी, जबकि ज्यादातर राज्य निशुल्क या एक बार भुगतान की जाने वाली समान दर आधारित आपूर्ति की आज्ञप्ति करते हैं, लेकिन बड़े खेत का स्वामित्व के चलते इसके लाभ अपेक्षाकृत सम्पन्न घर-परिवारों तक सीमित हैं।

अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए पीक और ऑफ पीक समय के दौरान बिजली की लागत के बारे में पर्याप्त सिगनल व्यवस्था का अभाव उपर्युक्त से संबंधित है। कृषि को छोड़कर, इसके साथ प्रत्यक्ष भार स्थानांतरण या मांग अनुक्रिया विकल्पों के अभाव की समस्यायें जुड़ी हुई हैं, कृषि के मामले में आपूर्ति के घंटे परंपरागत रूप से सुबह के समय के ऑफ पीक घंटे नियत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की पहल से अधिक स्थानों पर उपलब्धता के साथ, मांग अनुक्रिया स्वच्छ ऊर्जा का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी विकल्प है, और इसे प्राथमिकता के आधार पर अपनाया जाना चाहिए।

इसलिए, उपयोगकर्ताओं के छोर पर ऊर्जा मूल्यांकन पर निर्धारित नीति को निम्नलिखित विशेषकों पर संकेत प्रदान करने या अनुकूलित होने के लिए प्रक्रिया प्रदान करनी ही चाहिए: बचाई गई इकाई बनाम उत्पादित की गई इकाई का मूल्य; विभिन्न अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच ऊर्जा दक्षता में निवेश करने की क्षमताएं और अभिप्रेरणाएं; एवं पीक और ऑफ पीक विद्युत।

2 सार्थक लक्ष्य निर्धारित करें

एक के बाद एक आने वाली भारत सरकारों ने ऊर्जा क्षेत्रक से संबंधित आशावादी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा से, इलेक्ट्रिक वाहनों और यहाँ तक कि प्राकृतिक गैस तक के लिए इस सरकार द्वारा निर्धारित की गई नीति संबंधी महत्वाकांक्षाओं को भौतिक लक्ष्यों के स्थान पर अपनी आकांक्षा व्यक्त करने का संकेत देने के रूप में समझा जाना चाहिए। यहां तक कि स्वयं विभिन्न लक्ष्यों पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अधिक सार्थक एवं सेवा-केंद्रित बनाया जा सके। उदाहरण के लिए विद्युत की उपलब्धता के मामले में, चर्चा को सहज रूप से केवल ग्रिड कनेक्शन प्रदान करने से विद्युत ऊर्जा प्रदान करने की दिशा में विस्तारित किया ही जाना चाहिए।

यहाँ तक कि उज्ज्वला जैसी योजनाओं के मामले में भी, केवल लाभार्थियों की संख्या, सेवा की गुणवत्ता या ग्रामीण उपभोक्ताओं को गैर-वाणिज्यिक बायोमास से एलपीजी की ओर अग्रसर करने में प्राप्त हुई सफलता का संकेतक नहीं है। वास्तविक और टिकाऊ परिवर्तन का मापन करने वाले सेवा आधारित लक्ष्यों को व्युत्पन्न कर पाना नि:संदेह बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए ऐसी मौजूदा स्थितियों या परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है जो सक्षमकारकों या अन्य प्रकार से कार्रवाई करती हैं। ऐसा ही एक दृष्टिकोण विद्युत अभिगम के स्तरीय मापन के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के 'सभी के लिए सतत ऊर्जा' द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह विभिन्न समय बिंदुओं पर मात्र व्यक्तियों की संख्याओं के स्थान पर छोटे-छोटे सुधार मापने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यदि नवविद्युतीकृत गांव की विद्युत खपत प्रोफाइल, प्रकाश व्यवस्थाओं, पंखों और चार्जिंग से परे उत्तरोत्तर अधिक परिष्कृत और उत्पादक उपयोगों को इंगित करती है, या यदि आपूर्ति के घंटे (पीक घंटों सहित) सुधार दर्शाते हैं तो यह सार्थक उपलब्धता का एक ठोस संकेतक है।

3 बहु-आयामी प्राथमिकताओं का प्रबंधन करें

हर प्रौद्योगिकी-नीति चयन के लिए, एक विकल्प विद्यमान है। प्रत्येक विकल्प ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा, कम कार्बन उत्सर्जन, विश्वसनीयता, वहनीयता (सस्तेपन), रोजगार सृजन, आदि जैसे कई उद्देश्यों को अलग प्रकार से प्रभावित कर सकता है। जब सरकार अनुकूल विकल्प चुनने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करती है, तो उस विकल्प के निहित उद्देश्यों के लिए किसी अन्य को उत्तरदायी कैसे ठहराया जा सकता है? ऊपरी स्तर से निचले स्तर की दिशा में लागू की जाने वाली नीतियों के लिए दर्शन और उद्देश्य के ऐसे स्पष्ट कथन की आवश्यकता होती है जिसका मूल्यांकन उल्लिखित औचित्य और प्रत्याशित परिणामों के तर्कपूर्ण आधार पर किया जा सके। इससे वैकल्पिक नीति-मार्गों से संबंधित ऐसी चर्चा का अंतिम स्वरूप देने में सहायता मिलती है जो कई उद्देश्यों पर बेहतर सफलता प्राप्त कर सकती है।

उदाहरण के रूप में, इस प्रक्रिया के अनुसार कुछ कदम उठाए जाने के उपरांत होने वाली बहुविध घटनाक्रमों के आधार पर, उच्च इलेक्ट्रिक वाहन (EV) का भविष्य एवं इलेक्ट्रिक वाहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा का सम्मिलिन घटित हो सकता है, और तब भी महंगा सिद्ध हो सकता है। अंतरिम अवधि में, हम इंजन और ईंधन दक्षता, सार्वजनिक परिवहन, सीएनजी की उपलब्धता, अंतिम मील गतिशीलता और ऐसे पूरक उपायों को किस प्रकार उन्नत करें जिससे भारत में सुरक्षित, वहनीय और टिकाऊ परिवहन का भविष्य संवर्द्धित होता हो? ऐसी उपायों के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सरकारी सहायता की राशि को इसलिए कई उद्देश्यों पर प्राप्त हुए लाभ की मात्रा के अनुरूप अनिवार्य रूप से संरेखित किया जाना चाहिए।

अंत में, किसी अन्य क्षेत्रक को स्मार्ट नीतियों की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी कि भारित परिसम्पतियों की वृद्धि की समस्या से ग्रसित तापीय विद्युत संयंत्रों को है। इसलिए यदि कम से कम लागत पर स्वच्छ और लचीली विद्युत प्राप्त करने के लक्ष्य हों तो प्रदूषण मानकों को व्यक्तिगत इकाइयों के स्थान पर सकल परिणामों को लक्षित करके निर्धारित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, तापीय विद्युत उत्पादन में आयातित कोयले की भागीदारी में होने वाली वृद्धि रोकने के लिए सहज रूप से केवल पहले से अधिक कोयला खनन के प्रयास करने के स्थान पर घरेलू कोयले की गुणवत्ता, आवंटन, और लिंकेज को बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

ऊर्जा और विकास के सोपानों पर भारत के अग्रगमन के साथ अतीत की भारी चुनौतियों से अधिक सूक्ष्म और जटिल समस्यायों विकसित हो रही हैं। आने वाली सरकार के समक्ष निरंतर जारी संक्रमण पर आरुढ़ होने और कुछ पुरातन और निसंदेह रूप से उत्पादकता विरोधी सिद्ध होने वाली ऐसी धारणाओं को परिवर्तित करने का विशिष्ट अवसर मौजूद है जिन्होंने भारत में ऊर्जा नीति को अवरुद्ध कर दिया है। समग्र आपूर्ति के प्रश्न का अब पर्याप्त सीमा तक समाधान होने के बाद, आवंटनात्मक दक्षता और उत्पादकता के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

स्वच्छ भारत

अजय
निरूला

शासन, सेवाओं के वितरण और वित्तीय स्थिरता के विषय में भारत अभी भी दशकों पुरानी कई व्यवस्थागत चुनौतियों से जूझ रहा है। अगली सरकार को कुछ क्षेत्रों पर अपने प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

1 बिचौलियों को हटाएं

आजकल, ऊर्जा क्षेत्रक सहित संपूर्ण शासन व्यवस्था पर शुल्क लेकर सुविधा प्रदान करने वाले बिचौलियों की व्यापक उपस्थिति का बड़ा संकट छाया हुआ है। वे परिवहन लाइसेंस प्राधिकरणों, विद्युत प्रदाय वितरण कार्यालयों, हाउसिंग बोर्ड कार्यालयों, अस्पतालों, भूमि, आवास, और ऋण से संबंधित कानूनी दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए कार्यालयों, के बाहर दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त, कानूनी दस्तावेजों की लागत कृत्रिम रूप से बढ़ा दी गई है। कृषि क्षेत्रक में ऐसे बिचौलिए पाए जाते हैं जो ग्रामीण और सहकारी बैंकों, या निजी उधारदाताओं से ऋण प्राप्त करना सुगम करते हैं या ये ऐसे निजी उधारदाता होते हैं जो किसानों को उर्वरक, बीज और कीटनाशक के उच्च ब्याज दरों पर धन देते हैं। स्थानीय बाजारों को शक्तिशाली प्रचार समूहों और बिचौलियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो किसानों को और अधिक प्रभावित करते हैं। इस चक्र को तोड़ने की जरूरत है।

इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत में कई सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवेदन प्रपत्रों को ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की डिजाइनों पर स्वरूपित किया जाता है जो व्यर्थ की जानकारी और हक्का-बक्का कर देने वाली प्रक्रियाओं की दृष्टि से तर्क की अवहेलना करते हैं। प्रपत्रों और दस्तावेज़ों को सरलीकृत करने की आवश्यकता है। आज, विघटनकारी प्रौद्योगिकियों की एक श्रृंखला भ्रष्टाचार के अभिशाप को मिटा सकती है और दैनिक जीवन को आसान बना सकती है। सूचना प्रौद्योगिकियों, डेटा विश्लेषण, एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्मार्ट उपयोग अब विस्तृत पहुंच रखने वाली 4जी मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से लाभान्वित हो सकता है।

2 बिजली वितरण क्षेत्रक को नए सिरे से व्यवस्थित करें

सरकार ने कई दशकों के दौरान केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय और परिचालनगत स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। उनके कई उद्देश्य थे, जैसे कि, संचालनों और प्रौद्योगिकी को उन्नत करना, वित्तीय और संरचनात्मक सुधार एवं निर्धनता रेखा से नीचे के गांवों, ग्रामीण परिवारों और परिवारों को विद्युत उपलब्धता सक्षम करना। इसमें नवीनतम और सबसे महत्वाकांक्षी योजना उदय है, जिसे ऋण पुनर्गठन, प्रचालन दक्षता, एवं स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने के बहुआयामी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त परिणामों से ये अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं। एक वास्तविक खतरा यह है कि विद्युत वितरण कम्पनियों की बड़ी संख्या को फिर से वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करने आवश्यकता होगी: या जैसा कि कुछ विशेषज्ञों का कहना है, उदय 2 योजना की योजना की आवश्यकता होगी। वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) द्वारा विद्युत उत्पादकों को लगभग 3,600 बिलियन रुपए का भुगतान किया जाना शेष रहने से क्षितिज पर एक और संकट मंडराता दिखाई दे रहा है।

बार-बार उत्पन्न होने वाली इस चुनौती का समाधान करते के लिए, सरकार को विद्युत (संशोधन) विधेयक 2014 और प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) अधिनियम 2018 को अधिनियमित करना चाहिए। इसे वित्त आयोग की राज्य हिस्सेदारी से उपभोक्ताओं को समय पर प्रत्यक्ष लाभ (DBT) अंतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करके राज्य सरकारों द्वारा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) को कृषि सब्सिडी भुगतानों में होने वाले विलम्बों का समाधान करना चाहिए। इसे बिजली चोरी के कारण होने वाली क्षतियों को रोकने और कम करने पर, और इस प्रकार राजस्व में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। अंततः, इसे सूचना और प्रचालन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना चाहिए और उत्कृष्ट, सुसंगत वित्तीय और परिचालन निष्पादन परिणामों का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई की सर्वोत्तम प्रथाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर उत्कृष्टता वितरण केंद्र निर्मित करना चाहिए।

3 दिवालियापन और गैर-निष्पादनशील परिसंपत्तियों की जांच करें

पिछले चार-पांच वर्ष में- एयरलाइंस, आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, इस्पात, बिजली, शिपिंग, और शर्करा उद्यम संबंधी अनेक उदाहरण देखे गए हैं- जो गैर-निष्पादनशील परिसंपत्तियों (अनर्जक आस्तियों) एवं विभिन्न कारणों से ऋणों का पुनर्भुगतान करने में असमर्थता के कारण विफल हो गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार अकेले बिजली उत्पादन क्षेत्र से गैर-निष्पादनशील परिसंपत्तियों (अनर्जक आस्तियों) की मात्रा बैंकिंग क्षेत्र के कुल रु. 4.73 ट्रिलियन बकाया अग्रिमों के 5.9% के समतुल्य है। इन सबके बीच एक आम संबंध सूत्र विद्यमान है। सार्वजनिक और संस्थागत निधियों का अपव्यय किया गया है, परिणामस्वरूप वित्तीय हानि हुई है एवं निवेशकों के विश्वास में कमी आई है और बैंकों का आर्थिक विकास मन्द होने से वे विकास को प्रोत्साहित करने के लिए धन उधार देने में असमर्थ हैं।

यह समझना लोकहित में है कि यह किस प्रकार और क्यों घटित हुआ और कई बिलियन करदाताओं की निधियों को इस प्रकार निकृष्ट उपयोग में नियोजित क्यों कर दिया गया था। इसके कई कारण हैं: अप्रत्याशित या विघटनकारी घटनाओं के कारण व्यापार विशुद्ध रूप से विफल हो जाना, निकृष्ट स्तर का कॉर्पोरेट शासन एवं और जोखिम प्रबंधन प्रथाएं, उद्योग विशिष्ट घटनाएं, निधियों का कुप्रबंधन और विपथन (मार्ग परिवर्तन), पण्य चक्र व्युत्क्रमण (कमोडिटी चक्र का उलट जाना), केंद्रीय और राज्य नीति परिवर्तनों का प्रतिकूल प्रभाव, राष्ट्रों के बीच व्यापार संघर्ष, और आर्थिक समूहों का पुनर्व्यवस्थित होना। यदि किसी को ऐसे कारणों के संयोजन, अनुपात और सापेक्ष महत्व की पहचान करनी हो तो यह समीकरण बहुत जटिल हो जाता है। कुछ क्षेत्रों, जैसे कि ऋणदात्री संस्थाओं, बैंक, ऑडिटर्स, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की ओर से यथायोग्य तत्परता की भूमिका; भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा नीति और परिचालन निरीक्षण; कॉर्पोरेट प्रशासन; नीतिगत परिवर्तनों के प्रतिकूल प्रभावों; एवं अनियंत्रणीय अप्रत्याशित (काले हंस) घटनाक्रम जिनके लिए संभवत: विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं हों आदि में आवश्यक अपर्याप्तताओं और उपचारों को उजागर करने के लिए एक श्वेतपत्र जारी करना लाभप्रद होगा। अंततः, संस्थागत और कॉर्पोरेट स्तरों पर पूर्व चेतावनी प्रणालियों की स्थापना करने का उद्देश्य होना चाहिए ताकि विफलताएं दोहराई न जाएं बल्कि उनसे सबक सीखे जा सकें।

ब्रूकिंग इंडिया

ब्रूकिंग इन्स्टीट्यूशन इंडिया सेन्टर

नं. 6, द्वितीय तल, डा. जोश पी रिज़ल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली – 110021

टेलीफोन: +91 1124157600 | वेबसाइट: www.brookings.in

@BrookingsIndia | @Brookings.India | Brookings India | Brookings India